

मुकदमों का विवरण

मुम्ताज़ यारूद डौला वक्फ बनाम।

मेसर्स बादाम बालाक्रिष्णा होटल पी. वी. टी. लिमिटेड और ओ. आर. एस. (2023 की सिविल अपील संख्या 6933)

20 अक्टूबर, 2023

[एम. एम. सुंदरेश और प्रशांत कुमार मिश्रा, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय:प्रत्यर्थियों द्वारा उठाई गई आपत्ति कि अपीलार्थी के नेतृत्व में दायर मुकदमे पर वक्फ न्यायाधिकरण द्वारा विचार नहीं किया जाना चाहिए था, निष्पादन न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायालय, चाहे रमेश गोबिंदराम मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करके निष्पादन न्यायालय के निर्णय को उलटने में न्यायसंगत हो, जिसके आधार को 2013 के अधिनियम 27 द्वारा किए गए संशोधन के बाद हटा दिया गया है, जैसा कि राशिद वली बेग मामले में माना गया था।

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013 (2013 का संशोधन अधिनियम 27)-निर्णय के आधार को हटाने का अधिनियम-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 -धारा 47-वक्फ ट्रिब्यूनल के समक्ष वाद संपत्ति के अपीलकर्ता-मालिक के नेतृत्व में निष्कासन और कब्जे की वसूली के लिए मुकदमा दायर करने का आदेश दिया गया था-प्रत्यर्थियों के नेतृत्व में पुनरीक्षण याचिका, खारिज-अपीलकर्ता के नेतृत्व में निष्पादन याचिका-चार साल बाद, प्रत्यर्थियों ने वक्फ ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र के संबंध में याचिका दायर की-आवेदन ने यू/एस के नेतृत्व में याचिका दायर की। 47 निष्पादन न्यायालय द्वारा खारिज-उच्च न्यायालय ने रमेश गोबिंदराम (मृत) मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए उक्त निर्णय को उलट दिया। सुग्रा हुमायूं मिर्जा वक्फ [2010] 10 एस. सी. आर. 945-अपीलार्थी की याचिका कि उक्त निर्णय को इस न्यायालय द्वारा राशिद वली बेग बनाम फरीद पिंडारी और अन्य [2021] 13 एस. सी. आर. 1 में समझाया गया है और 2013 के अधिनियम 27 के अंतर्गत लाए गए संशोधन द्वारा रमेश गोबिंदराम में निर्णय के आधार को हटा दिया गया है:

आयोजित किया गया: राशिद वली बेग के मामले में इस न्यायालय ने रमेश गोबिंदराम में दिए गए पहले के फैसले पर ध्यान दिया और कहा कि 2013 के अधिनियम 27 द्वारा किए गए संशोधन के बाद, उक्त निर्णय के आधार को सही ढंग से हटा दिया गया था-यह 985

मुमताज येरूद दौला वक्फ बनाम एम./एस. बादाम बालकृष्ण होटल पी. वी. टी. लिमिटेड और ओ. आर. एस.

आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि वक्फ संपत्ति पर बेदखली के लिए एक मुकदमे को बनाए रखने के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं-वक्फ न्यायाधिकरण को वक्फ या वक्फ संपत्ति से संबंधित प्रत्येक मुकदमे की सुनवाई करने के लिए पर्याप्त अधिकार क्षेत्र प्राप्त है, कानून के अंतर्गत अनिवार्य के रूप को छोड़कर, राहत की प्रकृति के बावजूद-उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय, दुर्भाग्य से राशिद वली बेग में दिए गए निर्णय का लाभ नहीं दिया-अन्यथा, 2013 के अधिनियम 27 के माध्यम से संशोधन के अनुसार, अधिकार क्षेत्र अब वक्फ न्यायाधिकरण के पास है-एक प्रक्रियात्मक अधिकार का एक उत्पाद होने के कारण एक निर्णय मंच को पूर्वव्यापी संचालन के अंतर्गत आना पड़ता है जब एक दोष को ठीक करने के लिए एक संशोधन पेश किया जाता है जिसने अदालत के निर्णय का मार्ग प्रशस्त किया।[पारस 28-30,32]

सिविल प्रक्रिया संहिता, **1908** -धारा **47** आर/डब्ल्यू **Or.XXI**-निष्पादन कार्यवाही-अधिकार क्षेत्र से संबंधित प्रश्न -पहले के समय पर उक्त याचिका उठाने के अवसर की उपलब्धता-पक्ष का आचरण महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है:

आयोजित किया गया:एक निष्पादन न्यायालय को डिक्री को प्रभावी बनाने का कर्तव्य सौंपा गया है-कोई भी हस्तक्षेप, जिसमें अधिकार क्षेत्र से जुड़े प्रश्न भी शामिल हैं, अपवाद के रूप में बहुत कम किया जाना चाहिए-निर्णय-ऋणदाता पर अदालत को यह समझाने की भारी जिम्मेदारी है कि एक डिक्री अप्रभावी है-एक पक्ष का आचरण सार्थक मानता है-यदि किसी पक्ष को अनुचित लाभ होने की संभावना है, तो पहले समय पर अधिकार क्षेत्र की कमी की याचिका उठाने का अवसर उपलब्ध होने के बावजूद, निष्पादन कार्यवाही के दौरान ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए-इसके अलावा, एक वादी को अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत करने में प्रतिवादी के निष्क्रिय कार्य द्वारा पर्याप्त नहीं बनाया जाएगा-किसी को परिणाम देखना होगा जबकि

986

/

[2023] 15 एस सी आर।

निर्णय-देनदार ने इस तरह की याचिका दायर करने का साहस नहीं किया होगा-यह स्पष्ट रूप से उसकी सुविधा के अनुरूप एक विचार के बाद का मामला है-उसे अनुमोदन और खंडन करने की अनुज्ञात नहीं दी जा सकती है-हालांकि यह न्यायालय उस चरण से निपटने वाले पहले के उदाहरणों के बारे में अंतर्गत सचेत है जिस पर इस तरह की याचिका उठाई जा सकती है, जमीनी वास्तविकता के संदर्भ अंतर्गत पुल के नीचे बहुत पानी है-अनुमोदन और खंडन।[पैरा 14,15]

अभ्यास और प्रक्रिया-क्षेत्राधिकार-एक ऐसे मामले की तुलना में एक मंच के लिए अधिकार क्षेत्र की कमी जहां दो या दो से अधिक मंच पक्षों के अधिकारों और देनदारियों के साथ एक ही मुद्दे से निपटते हैं:

आयोजित किया गया:कोरम गैर-न्यायिक से जुड़े मामले से निपटने में एक सूक्ष्म अंतर होता है-एक मंच के लिए अधिकार क्षेत्र की कमी को नियंत्रित करने वाला सिद्धांत उस मामले से अलग हो सकता है जहां दो या दो से अधिक मंच पक्षों के अधिकारों और देनदारियों के साथ एक ही मुद्दे से निपटते हैं-स्थिति को स्पष्ट करने के लिए, किसी को यह देखना होगा कि क्या एक मंच को दूसरे के खिलाफ चुनकर पक्षों के अधिकारों और देनदारियों में कोई बदलाव हुआ है-समान अधिकारों और देनदारियों से जुड़े मामले में लेकिन प्रश्न केवल न्यायिक या अर्ध-न्यायिक होने के संबंध में है, अधिकार क्षेत्र का मुद्दा महत्वहीन हो जाएगा जब इसे बहुत देर से अंतिम पेंच के रूप में उठाया जाना चाहिए-इसलिए, जब प्रक्रिया समान हो जाती है। [पैरा 16]

सिविल प्रक्रिया संहिता, **1908** -एस. **9**-अपने स्वयं के अधिकार क्षेत्र को सीमित करने में न्यायालय का कर्तव्य-चर्चा की गई-अधिकतम-"एक्टस क्यूरी नेमिनेम ग्रेविट"।

अभ्यास और प्रक्रिया-एक कानून के अंतर्गत विशेष मंच, एक दीवानी अदालत का बहिष्कार:

आयोजित किया गया:जब एक कानून के अंतर्गत एक विशेष मंच उपलब्ध कराया जाता है, तो एक दीवानी न्यायालय को आम तौर पर एक ऐसे विवाद पर विचार करना चाहिए जो अन्यथा उक्त मंच के समक्ष उत्तरदायी नहीं होगा-इसलिए, एक अधिनियम से उत्पन्न होने वाले पक्षों के अधिकारों और देनदारियों का निर्णय उसके अंतर्गत प्रदान किए गए तंत्र के अनुरूप किया जाना चाहिए-अधिनियम के प्रावधानों को ऐसे मंचों के माध्यम से प्रभावी बनाया जाना चाहिए और इसलिए 987 तक।

मुमताज येरूद दौला वक्फ बनाम एम./एस. बादाम बालकृष्ण होटल पी. वी. टी. लिमिटेड और ओ. आर. एस.

एक सिविल न्यायालय का बहिष्करण, जिसकी अधिकारिता का अन्यथा अनुमान लगाया जाना है-विधि के एक सिद्धांत के रूप में, सिविल न्यायालय की शक्तियां, पूर्ण प्रकृति की होने के कारण, उस पक्ष पर निर्भर करती हैं जो तर्क देता है कि उसके पास अधिकार क्षेत्र की कमी है-हालाँकि, यह सिविल न्यायालय के अपने अधिकार क्षेत्र की जाँच करने के कर्तव्य को कम नहीं करता है, विशेष रूप से तब जब एक विशेष मंच एक कानून के रूप में अस्तित्व में आया हो। [पैरा 26]

धूलाभाई आदि बनाम मध्य प्रदेश राज्य और दूसरा, [1968] 3

एस. सी. आर. 662-अनुसरण किया गया।

राशिद वली बेग बनाम फरीद पिंडारी और अन्य (2022) 4 एससीसी 414:[2021] 13 एस. सी. आर. 1; भारत संघ और अन्य बनाम एन. मुरुगेसन और अन्य, (2022) 2 एस. सी. सी. 25; न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम श्रीमती. शांति मिश्रा,

वयस्क, (1975) 2 एस. सी. सी. 840:[1976] 2 एस. सी. आर. 266; हितेंद्र विष्णु ठाकुर और

अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (1994) 4 एस. सी. सी. 602:[1994] 1 पूरक। एससीआर 360; नीना अनेजा और एक अन्य बनाम जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (2022) 2 एससीसी 161; वंकामामिडी वेंकट सुब्बा राव बनाम चटलापल्ली सीतारमरत्न रंगनायकम्मा (1997) 5 एससीसी 460:[1997] 3 एससीआर

530; अशोक कपिल बनाम सना उल्ला (1996) 6 एससीसी 342:[1996] 6 पूरक। एससीआर

768; यूरेका फोर्ब्स लिमिटेड बनाम इलाहाबाद बैंक (2010) 6 एस. सी. सी. 193: [2010] 5 एससीआर 990; मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ और एक अन्य (2022)

12 एस. सी. सी. 455-पर निर्भर।

फ़सीला एम. वी. मुन्नरुल इस्लाम मदरसा समिति और एक अन्य,

(2014) 16 एससीसी 38:[2014] 4 एससीआर 613; रमेश गोबिंदराम (मृत) एल. आर. वी. के माध्यम से। सुग्रा हुमायूं मिर्जा वक्फ (2010) 8 एस. सी. सी. 726:[2010] 10 एससीआर

945; इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल और अन्य, (2020) 8 एससीसी 129: [2020] 3 एस. सी. आर. 1; एम. हरिहरसुधन बनाम आर. करमेगम (2019)

10 एससीसी 94:[2019] 13 एस. सी. आर. 442-संदर्भित।

राज के महाप्रबंधक दुर्भुंगा बनाम महाराजा कुमार

रामपुत सिंह, 1872 एस. सी. सी. ऑनलाइन पी. सी. 16-संदर्भित।

फेडरेटेड इंजन ड्राइवर्स एंड फायरमेन एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया बनाम ब्रोकर हिल प्रोपराइटरी कंपनी लिमिटेड, (1911) 12 सी. एल. आर. 398; झांग बनाम जेमिन (2010) 79 एन. एस. डब्ल्यू. एल. आर. 513; वॉल्वरहैम्प्टन न्यू वाटरवर्क्स कंपनी बनाम।

हॉक्सफोर्ड [1859] 6 सी. बी. (एनएस) 336-संदर्भित।

988 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 15 एस. सी. आर.

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन आक्षेपित हैं

सिविल अपील की अधिकारिता 2023 की सिविल अपील संख्या 6933/2021 के सी. आर. पी. संख्या 1264 में हैदराबाद में तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय के दिनांक 23.11.2021 के निर्णय और आदेश से।

रूप:

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, हुज़ेफा अहमदी, वरिष्ठ अधिवक्ता।, महफूज़ अहसान नाज़की, पोलंकी गौतम, सुश्री राजेश्वरी मुखर्जी, सुश्री नीति रिचरिया, मीरान मकबूल, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

श्याम दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता, बी. श्रवण शंकर, सुश्री प्रेरणा रॉबिन, राहुल जाजू, देवदीप्ता दास, के. परमेश्वर, सुश्री आरती गुप्ता, सुश्री कांति, चिनमय कलगांवकर, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च निर्णय के निर्णय का निर्णय/आदेश

एम. एम. सुंदरेश, जे.

1. अनुमति दी गई।

2. प्रत्यर्थी सं. (ओं) के कहने पर प्रक्रिया में आवधिक ठहराव के साथ अपीलार्थी द्वारा अपनाई गई कानूनी यात्रा। 1 और 2 लिस को उस स्थान पर वापस ले आए जहाँ से यह शुरू हुआ था, जिससे इसे आक्षेपित आदेश द्वारा एक नए गार्ड को संभालने के लिए मजबूर होना पड़ा।

3. यह मामला उस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जिस पर राइट ऑनरेबल सर जेम्स कोल्लिलबे ने जनरल में ध्यान दिया और शोक व्यक्त किया।

राज दुर्भंगा बनाम महाराजा कुमार रामपाल सिंह के प्रबंधक, **1872** एस. सी. सी. ऑनलाइन पी. सी. **16**,

“ये कार्यवाहियाँ निश्चित रूप से दर्शाती हैं कि श्री डोयने ने क्या कहा था, और जो अक्सर पहले कहा गया है, कि भारत में एक वादी की भिन्न धारणाएँ तब शुरू होती हैं जब वह एक डिक्री प्राप्त करता है।

स्थिति न केवल जारी है बल्कि अधिक प्रचलित हो गई है।

989

मुम्ताज़ यारूद दौला वक्फ बनाम एम/एस बादाम

बालकृष्ण होटल पी. वी. टी. लिमिटेड और ओ. आर. एस. [एम. एम. सुंदरेश, जे.] 990

वास्तविक पृष्ठभूमि

4. अपीलार्थी, मुकदमा संपत्ति का निर्विवाद स्वामी होने के नाते, प्रत्यर्थी सं. के पक्ष में एक पंजीकृत पट्टा विलेख निष्पादित करता है।² उत्तरदाता नं. 1 चिंता का प्रतिनिधित्व एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है जो उस व्यक्ति का पुत्र है (मृत होने के बाद से) जिसने प्रत्यर्थी सं.² पट्टे की अवधि 33 वर्षों के लिए थी। वाद परिसर प्रत्यर्थी सं. (ओं) द्वारा अनुमति के बिना खाली कर दिया गया था।¹ और 2.

5. पट्टे की समयावधि समाप्त होने के बाद, अपीलार्थी ने एक कानूनी नोटिस जारी किया जिसमें प्रत्यर्थी सं. 2 खाली कब्जा सौंपने के लिए। एक जवाब दिया गया था जिसमें कहा गया था कि कब्जा केवल 25.11.1966 पर सौंपा गया है, पट्टा 24.11.1999 तक रहता है। उक्त उत्तर की प्राप्ति पर-प्रत्यर्थी सं. 2 दिनांक 05.06.1999, अपीलार्थी द्वारा दूसरा नोटिस जारी किया गया था, जिस पर एक अलग प्रतिक्रिया आई; कि उक्त पंजीकृत पट्टा मौखिक रूप से और 33 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। मूल पट्टा विलेख के अंतर्गत उपलब्ध मध्यस्थता खंड का भी संदर्भ दिया गया था।

6. अपीलार्थी ने तुरंत वक्फ ट्रिब्यूनल के समक्ष 1999 के ओ. एस. नंबर 132 में एक मुकदमे का नेतृत्व किया जिसमें किराए और हर्जाने के बकाया के साथ-साथ बेदखल करने और कब्जे की वसूली के लिए एक डिक्री की मांग की गई थी। प्रतिवादी संख्या (ओं) के हाथों लंबे समय तक मुकदमेबाजी और देरी करने की रणनीति के बाद।¹ और 2, अंत में 13.11.2002 पर एक डिक्री पारित की गई। प्रतिवादी संख्या (ओं) के खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया गया था।^{3, 4, 5, और 7}, जबकि प्रतिवादी सं. 6 को पूर्व-पक्ष निर्धारित किया गया था। वक्फ ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र के संबंध में कोई याचिका नहीं उठाई गई थी, जबकि मौखिक पट्टे का बचाव करने के असफल प्रयास को सही ढंग से खारिज कर दिया गया था।

7. पारित डिक्री से संतुष्ट नहीं होने पर, उत्तरदाता नहीं (ओं)।¹ और 2 एफ. आई. ने 2002 की सी. आर. पी. संख्या 5863 के रूप में उच्च न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका का नेतृत्व किया। इसे अन्य बातों के साथ यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि पट्टे की समाप्ति के बाद कब्जे में बने रहने का कोई कानूनी आधार नहीं है।

8. प्रत्यर्थी सं. (ओं) द्वारा अपनाई गई विलम्बकारी रणनीति।¹ और 2 इसके बाद भी जारी रहा, इस हद तक कि अपीलार्थी को 2014 की ई. पी. संख्या 29 में 18.10.2014 पर एक निष्पादन याचिका दायर करनी थी। निष्पादन कार्यवाही के दौरान भी, प्रत्यर्थी सं. 2 ने मुकदमे की स्थिरता का अनुरोध नहीं उठाया। हालांकि, चार वर्षों के बाद, जिसके दौरान न्यायालय को कई आवेदनों/आपत्तियों के माध्यम से सफलतापूर्वक रोका गया था, जाहिर है कि उत्तरदाताओं के कहने पर, एक अतिरिक्त जवाबी कार्रवाई की गई थी।

/

याचिका में कहा गया है कि इस न्यायालय द्वारा फ़र्सीला एम. वी. में दिए गए कथन को ध्यान में रखते हुए निर्धारित और घोषित मुकदमे पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था। मुन्नरुल

इस्लाम मदरसा समिति और एक अन्य, (2014) 16 एस. सी. सी. 38 जो बदले में एल. आर. वी. के माध्यम से रमेश गोबिंदराम (मृत) में दिए गए निर्णय पर निर्भर था। सुग्रा हुमायूं मिर्जा वक्फ, (2010) 8 एस. सी. सी. 726। आपत्ति

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (इसके बाद "संहिता" के रूप में संदर्भित) की धारा 47 के अंतर्गत दायर आवेदन को खारिज करके निष्पादन न्यायालय द्वारा उठाया गया मुद्दा मान्य नहीं पाया गया। एक संशोधन पर, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने रमेश गोबिंदराम (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा रखते हुए निष्पादन न्यायालय के फैसले को उलट दिया। पारित उक्त आदेश को इस अपील अंतर्गत चुनौती दी गई है।

प्रस्तुतियाँ

9. अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी और श्री हुज़ेफा अहमदी ने उत्साहपूर्वक कहा कि प्रतिवादी द्वारा फांसी की याचिका के चरण तक कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी। रमेश गोबिंदराम (सुप्रा) में दिए गए निर्णय पर इस न्यायालय द्वारा राशिद वली में विचार किया गया है और समझाया गया है।

बेग बनाम फरीद पिंडारी और अन्य, (2022) 4 एससीसी 414। इस तरह की कवायद इससे पहले के अवसरों पर भी इस न्यायालय द्वारा कार्रवाई की गई थी। 2013 के अधिनियम 27 के अंतर्गत लाए गए संशोधन से रमेश गोबिंदराम (सुप्रा) में निर्णय के आधार को हटा दिया गया है। यह मानते हुए भी कि आक्षेपित आदेश सही है, परिणामी स्थिति यह होगी कि अपीलार्थी को एक बार फिर वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष मुकदमा दायर करना होगा।

10. उक्त निवेदन का पूरक करते हुए, श्री के. परमेश्वर, प्रत्यर्थी नं. 8, वक्फ बोर्ड ने प्रस्तुत किया कि रमेश गोबिंदराम (सुप्रा) में दिए गए निर्णय से पहले भी, वक्फ और वक्फ संपत्ति से संबंधित सभी मुकदमों की सुनवाई करने के लिए पर्याप्त अधिकार क्षेत्र था, इस तथ्य पर राशिद वली बेग (सुप्रा) में सही ढंग से ध्यान दिया गया था। वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 85 के साथ पठित धारा 83 विशिष्ट और स्वतंत्र प्रावधान होने के कारण वक्फ न्यायाधिकरण को पर्याप्त अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है।

11. प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री श्याम दीवान ने कहा कि किसी भी स्तर पर खारिज करने की याचिका दायर की जा सकती है। जैसा कि रमेश गोबिंदराम (सुप्रा) में अभिनिर्धारित किया गया है, 1995 के अधिनियम 43 की धारा 6 और 7 वक्फ संपत्ति से किसी व्यक्ति को बेदखल करने के मुद्दे पर निर्णय लेने में वक्फ न्यायाधिकरण को अपेक्षित अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करती हैं।

मुस्ताज़ यारूद दौला वक्फ बनाम एम/एस बादाम

बालकृष्ण होटल पी. वी. टी. लिमिटेड और ओ. आर. एस. [एम. एम. सुंदरेश, जे.] 992

चूंकि रमेश गोबिंदराम (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश को ध्यान में रखते हुए आक्षेपित आदेश पारित किया गया था, इसलिए हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

12. प्रतिद्वंद्वी दलीलों के समर्थन में, विद्वान वकील ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा रखा:

- रमेश गोबिंदराम (मृत) एल. आर. बनाम सुग्रा हुमायूं मिर्जा वक्फ के माध्यम से, (2010) 8 एस. सी. सी. 726
- पंजाब वक्फ बोर्ड बनाम प्रितपाल सिंह और अन्य, (2013) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1345:2013 की सिविल अपील No.8194
- फ़सीला एम. वी. मुनीरुल इस्लाम मदरसा समिति और एक अन्य, (2014) 16 एस. सी. सी. 38
- पंजाब वक्फ बोर्ड बनाम शाम सिंह हरिके और एक अन्य, (2019) 4 एससीसी 698
- तेलंगाना राज्य वक्फ बोर्ड और अन्न। वी. मोहम्मद मुजप्फर, (2021) 9 एस. सी. सी.
- किरण देवी बनाम बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड और अन्य, (2021) 15 एससीसी 15
- राशिद वली बेग बनाम फरीद पिंडारी और अन्य, (2022) 4 एससीसी 414 किरण सिंह और अन्य। बनाम चमन पासवान और अन्य, 1955 (1) एस. सी. आर. 117:ए. आई. आर 1954 एस. सी. 340
- चंद्रिका मिसिर और एक अन्य बनाम भैयालाल, (1973) 2 एस. सी. सी. 474 सुशील कुमार मेहता बनाम गोविंद राम बोहरा (मृत) अपने एल. आर. के माध्यम से, (1990) 1 एस. सी. सी. 193
- एल. आर. वी. के माध्यम से चिरंजीलाल श्रीलाल गोयनका (मृत) जसजीत सिंह और अन्य (1993) 2 एस. सी. सी. 507
- सरवन कुमार और एक अन्य बनाम मदन लाल अग्रवाल, (2003) 4 एससीसी 147
- अशोक लेलैंड लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ टी. एन. एंड अदर, (2004) 3 एस. सी. सी. 1
- हिंदुस्तान ज़िंक लिमिटेड (एचजेडएल) बनाम अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, (2019) 17 एससीसी

/

[2023] 15 एस सी आर।

• पी. वी. निधिश और ओआरएस बनामकेरल राज्य वक्फ बोर्ड और अन्य, (2023) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 519:2023 (7) स्केल 130।

13. इस मामले के गुण-दोष पर विचार करने से पहले, हम पहले प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतियों को नियंत्रित करने वाले विधि के मुद्दों पर विचार करेंगे।

एक्जीक्यूटिंग न्यायालय फैसले से परे नहीं जा सकता है

14. यह कानूनी सिद्धांत कि एक निष्पादन न्यायालय डिक्री से परे नहीं जा सकता है, संहिता के आदेश XXI के साथ पठित धारा 47 की कठोरता के अधीन है। बेशक, एक निष्पादन न्यायालय को डिक्री को प्रभावी बनाने का कर्तव्य सौंपा गया है। क्षेत्राधिकार से जुड़े प्रश्न सहित किसी भी हस्तक्षेप को अपवाद के रूप में बहुत कम किया जाना चाहिए। न्यायालय को यह समझाने की भारी जिम्मेदारी निर्णय-ऋणदाता पर है कि एक डिक्री अप्रवर्तनीय है। जब किसी अभ्यास में तथ्यात्मक निर्णय शामिल होने की संभावना हो, तो बेहतर होगा कि इससे बचा जाए।

15. पार्टी का आचरण महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि किसी पक्ष को अनुचित लाभ होने की संभावना है, तो पहले के समय में अधिकार क्षेत्र की कमी की याचिका उठाने का अवसर उपलब्ध होने के बावजूद, उसे निष्पादन कार्यवाही के दौरान ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में, एक वादी को क्षेत्राधिकार के अधीन होने में प्रतिवादी के निष्क्रिय कार्य द्वारा पर्याप्त नहीं बनाया जाएगा। देश के विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की भारी संख्या पर ध्यान देते हुए इसका परिणाम देखना होगा। इस बात का कोई लाभ नहीं है कि प्रतिकूल डिक्री के लिए, एक निर्णय-देनदार ने इस तरह की याचिका उठाने का साहस नहीं किया होगा। यह स्पष्ट रूप से उसकी सुविधा के अनुरूप एक विचार का मामला है। उसे अनुमोदन और खंडन करने की अनुज्ञात नहीं दी जा सकती है। यद्यपि हम उस चरण से निपटने वाले पहले के उदाहरणों के बारे में अंतर्गत सचेत हैं जिस पर इस तरह की याचिका उठाई जा सकती है, लेकिन जमीनी वास्तविकता के संदर्भ अंतर्गत पुल के नीचे बहुत अधिक पानी बह गया है। भारत संघ और अन्य

बनाम एन. मुरुगेसन और अन्य, (2022) 2 एससीसी 25,

“स्वीकार करें और अस्वीकार करें

26. ये वाक्यांश स्कॉटलैंड के विधि से लिए गए हैं। उनका मतलब केवल यह होगा कि किसी भी पक्ष को एक ही बात को अनुज्ञात और अनुज्ञात करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, और इस प्रकार कोई भी गर्म और ठंडा नहीं उड़ सकता है। चुनाव के सिद्धांत के पीछे का सिद्धांत अनुमोदन और खंडन की अवधारणा में अंतर्निहित है। एक बार फिर, यह समानता का एक सिद्धांत है जो सामान्य विधि की रूपरेखा के अंतर्गत आता है। इसलिए, जो **993** को जानता है

मुस्ताज़ यारूद दौला वक्फ बनाम एम/एस बादाम

बालकृष्ण होटल पी. वी. टी. लिमिटेड और ओ. आर. एस. [एम. एम. सुंदरेश, जे.] 994

कि यदि वह किसी वाद्य पर आपत्ति करता है, तो उसे वह लाभ नहीं मिलेगा जो वह चाहता है, फलों का आनंद लेते हुए ऐसा करने की अनुज्ञात नहीं दी जा सकती है। एक भाग का लाभ उठाते हुए बाकी भाग को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को सवाल पूछते समय किसी उपकरण का लाभ लेने की अनुज्ञात नहीं दी जा सकती है। ऐसे पक्ष को या तो लेन-देन को स्वीकार करना होता है या उसे स्वीकार नहीं करना होता है। इस सिद्धांत को एक सामान्य विधि सिद्धांत के रूप में अधिक जोश के साथ लागू किया जाना चाहिए, यदि ऐसा पक्ष वास्तव में एक हिस्से का पूरी तरह से आनंद लेता है और उक्त आनंद के पूरा होने पर, उसके बाद दूसरे हिस्से पर सवाल उठाता है। निष्पक्ष खेल का एक तत्व इस सिद्धांत में अंतर्निहित है। यह एक पार्टी के आचरण से संबंधित एस्टोपेल की एक प्रजाति भी है। हम पहले से ही एक पक्ष के आचरण से संबंधित अनुबंध अधिनियम के प्रावधानों और बिना शर्त उसकी स्वीकृति के माध्यम से उसे स्वीकार करते हुए उसके ज्ञान के अनुमान पर विचार कर चुके हैं।

27. हम उक्त सिद्धांत की बेहतर सराहना और समझ के लिए निम्नलिखित निर्णयों को उद्धृत करना चाहेंगे:

27.1. नागुबाई अम्मल बनाम बीबी शमा राव [नागुबाई अम्मल बनाम बीबी शमा

राव, 1956 एससीआर 451:ए. आई. आर 1956 एस. सी. 593]:(AIR pp. 601-02, पैरा 23)
"23. लेकिन श्री कृष्णस्वामी अय्यंगार का तर्क है कि ओएस में कार्यवाही के रूप में। 1938-39 के नंबर 92 पर इस दलील को रोकने के लिए भरोसा किया जाता है कि ओएस में डिक्री और बिक्री। 1919-20 की संख्या 100 मिली-जुली नहीं हैं, न कि रेस जुडिकाटा या विरोध के आधार पर, बल्कि इस सिद्धांत पर कि कोई व्यक्ति अनुमोदन और खंडन दोनों नहीं कर सकता है। यह कोई मायने नहीं रखता कि वर्तमान अपीलार्थी इसमें पक्षकार नहीं थे, और निर्णय

वर्चर्स क्रीमरीज लिमिटेड बनाम. हल और नीदरलैंड स्टीमशिप कं।

लिमिटेड [(1921) 2 के. बी. 608 (सी. ए.)], और विशेष रूप से, स्कूटन, एल. जे. की टिप्पणियाँ, पी. 611 इस स्थिति के समर्थन में उद्धृत किया गया था। वहाँ, तथ्य यह थे कि एक एजेंट ने प्रिंसिपल के निर्देशों के विपरीत ग्राहक को सामान पहुँचाया, जिसने इसके बाद माल की कीमत के लिए खरीदार के खिलाफ मुकदमा दायर किया और एक डिक्री प्राप्त की। संतुष्टि प्राप्त न होने पर, प्रधान ने एजेंट के खिलाफ लापरवाही और कर्तव्य के उल्लंघन के आधार पर हर्जाने के लिए मुकदमा दायर किया। यह माना गया कि इस तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई थी। निर्णय का आधार यह है कि जब एक ही तथ्यों पर, एक व्यक्ति को दो राहतों में से एक का दावा करने का अधिकार है और पूरी जानकारी के साथ वह दावा करने का विकल्प चुनता है

[2023] 15 एस सी आर।

एक और इसे प्राप्त करता है, उसके बाद उसके लिए अपने चुनाव पर वापस जाने और वैकल्पिक राहत का दावा करने के लिए खुला नहीं है। इस प्रकार सिद्धांत कहा गया था

बैंक्स, एल. जे.: (वर्शर्स क्रीमरीज लिमिटेड मामले [(1921) 2 KB

608 (सीए)], के. बी. पी. 611)

‘... उसे डिलीवरी को एक अधिकृत डिलीवरी के रूप में मानने के लिए चुने जाने के बाद वे उसी कार्य को गलत डिलीवरी के रूप में नहीं मान सकते हैं। ऐसा करने के लिए उसी अधिनियम को मंजूरी देना और उसका खंडन करना होगा।’

स्कूटन, एल. जे. की टिप्पणियाँ जिन पर अपीलार्थी भरोसा करते हैं वे इस प्रकार हैं -

निम्नलिखित है: (वर्शर्स क्रीमरीज लिमिटेड मामले [(1921) 2 KB 608 (CA)],

के. बी. पी. 611-12) '। एक वादी को "अनुमोदन और खंडन" करने की अनुमति नहीं है। यह वाक्यांश स्पष्ट रूप से स्कॉच विधि से लिया गया है, जहां इसका उपयोग हमारे चुनाव के सिद्धांत में सन्निहित सिद्धांत को व्यक्त करने के लिए किया जाता है-अर्थात्, कोई भी दल एक ही साधन को स्वीकार और अस्वीकार नहीं कर सकता है: केर बनाम वाउचोप [(1819) 1 ब्लिघ पी. सी. 1 पी. 21 : 4 पी पर ई. आर. 118] : डगलस-मेंज़ीज़ बनाम उम्पेल्वी [1908 ए. सी. 224 पी. 232 (पीसी)]। चुनाव का सिद्धांत हालांकि उपकरणों तक सीमित नहीं है। एक व्यक्ति एक समय में यह नहीं कह सकता है कि कोई लेन-देन वैध है और इस तरह कुछ लाभ प्राप्त करता है, जिसके लिए वह केवल इस आधार पर हकदार हो सकता है कि यह वैध है, और फिर मुड़कर कहता है कि यह किसी अन्य लाभ को प्राप्त करने के उद्देश्य से शून्य है। यह लेन-देन को मंजूरी देने और फिर से प्रमाणित करने के लिए है।’

उपरोक्त टिप्पणियों से यह स्पष्ट है कि यह उक्ति कि कोई व्यक्ति "अनुमोदन और खंडन" नहीं कर सकता है, चुनाव के सिद्धांत का केवल एक अनुप्रयोग है, और इसका संचालन उसी लेनदेन के संबंध में दावा किए गए राहतों और उन व्यक्तियों के लिए होना चाहिए जो इसमें पक्षकार हैं। इस प्रकार विधि को हैल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, वॉल्यूम में कहा गया है। XIII, पी. 464, पैरा 512:

‘इस सिद्धांत पर कि कोई व्यक्ति अनुमोदन और खंडन नहीं कर सकता है, एस्टोपेल की एक प्रजाति उत्पन्न हुई है जो रिकॉर्ड द्वारा एस्टोपेल और पैस में एस्टोपेल के बीच मध्यवर्ती प्रतीत होती है, और इसे आसानी से यहां संदर्भित किया जा सकता है। इस प्रकार एक पक्ष को, एक आदेश (जैसे लागत का भुगतान) के अंतर्गत लाभ उठाने के बाद, यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता है कि यह अमान्य है और इसे अलग रखने के लिए या पूर्वाग्रह 995 के लिए स्थापित करने के लिए नहीं कहा जा सकता है।

मुम्ताज़ यारूद दौला वक्फ बनाम एम/एस बादाम

बालकृष्ण होटल पी. वी. टी. लिमिटेड और ओ. आर. एस. [एम. एम. सुंदरेश, जे.] 996

जिन व्यक्तियों ने उस पर भरोसा किया है जो उस मामले के साथ असंगत है जिस पर यह स्थापित किया गया था; और न ही उसे उस आदेश के पीछे जाने की अनुज्ञात जाएगी जो सही तथ्यों की अज्ञानता में उस पर कार्रवाई करने वाले तीसरे पक्ष के पूर्वाग्रह के कारण दिया गया है।'

27.2. पंजाब राज्य बनाम धनजीत सिंह संधू [(2014) 15 एससीसी 144]

:(एस. सी. सी. पीपी. 153-54, पैरा 22-23 और 25-26)

“22. "अप्रूबेट एंड रिप्रूबेट" का सिद्धांत केवल विरोध की एक प्रजाति है, इसका तात्पर्य केवल पक्षों के आचरण से है। जैसा कि रोक के मामले में यह एक कानून के प्रावधानों के खिलाफ काम नहीं कर सकता है। (वीडियो

सी. आई. टी. बनाम एम. आर. पी. फर्म मुआर [ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1216]।

23. यह विधि का तय प्रस्ताव है कि एक बार जब कोई आदेश पारित हो जाता है, तो उसका पालन किया जाता है, दूसरे पक्ष द्वारा स्वीकार किया जाता है और उससे लाभ प्राप्त होता है, तो वह इसे किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दे सकता है। (महाराष्ट्र के बारे में

एस. आर. टी. सी. बनाम बलवंत नियमित मोटर सेवा (ए. आई. आर. 1969 एस. सी. 329)। में

आर. एन. गोसैन बनाम यशपाल धीर [(1992) 4 एस. सी. सी. 683] इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी अंतर्गत है: (आर. एन. गोसैन मामला [(1992) 4 एस. सी. सी. 683], एस. सी. सी. पीपी. 687-88, पैरा 10)

‘10. विधि किसी व्यक्ति को अनुमोदन और खंडन दोनों की अनुमति नहीं देता है। यह सिद्धांत चुनाव के सिद्धांत पर आधारित है जिसमें कहा गया है कि कोई भी दल एक ही साधन को स्वीकार और अस्वीकार नहीं कर सकता है और 'कोई व्यक्ति एक समय में यह नहीं कह सकता है कि कोई लेन-देन वैध है और इस तरह कुछ लाभ प्राप्त कर सकता है, जिसके लिए वह केवल इस आधार पर हकदार हो सकता है कि यह वैध है, और फिर मुड़कर कहता है कि यह किसी अन्य लाभ को प्राप्त करने के उद्देश्य से शून्य है।'।

25. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम में उच्चतम न्यायालय IV. हीरा और रत्न विकास निगमालि.

[(2013) 5 एससीसी 470: (2013) 3 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 153] ने एक अवलोकन किया कि एक पक्ष को "गर्म और ठंडा", "तेज और ढीला" या "अनुमोदन और खंडन" करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जहाँ कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी अनुबंध या हस्तांतरण या आदेश के लाभ को स्वीकार करता है, वहाँ उस पर ऐसे अनुबंध या हस्तांतरण या आदेश की वैधता या बाध्यकारी प्रभाव को अस्वीकार करने का निर्णय लिया जाता है। यह नियम इक्विटी करने के लिए लागू किया जाता है, हालांकि, यह

/

[2023] 15 एस सी आर।

इसे इस तरह से लागू नहीं किया जाना चाहिए जिससे सही और अच्छे विवेक के सिद्धांतों का उल्लंघन हो।

26. यह स्पष्ट है कि चुनाव का सिद्धांत बहिष्कार के नियम पर आधारित है, यह सिद्धांत कि कोई भी अनुमोदन और खंडन नहीं कर सकता है, इसमें निहित है। चुनाव द्वारा बहिष्करण का सिद्धांत पेस (या न्यायसंगत बहिष्करण) में बहिष्करण की प्रजातियों में से एक है, जो समानता का नियम है। इस विधि द्वारा, एक व्यक्ति को उसके कार्यों, या आचरण, या मौन के माध्यम से, जब उसे बोलना होता है, तो उस अधिकार का दावा करने से रोका जा सकता है जो उसे अन्यथा प्राप्त होता। "

27.3. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम। व. हीरा और रत्न विकास निगम। लिमिटेड [(2013) 5 एस. सी. सी. 470: (2013) 3

एस. सी. सी. (सिविल) 153]: (एस. सी. सी. पीपी. 480-81, पैरा 15-16)

"1. अनुमोदन और खंडन करें

15. एक पार्टी को "गर्म-तेज़ ठंड", "तेज़ और ढीला" या "अनुमोदन और खंडन" करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जहाँ कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी अनुबंध, या हस्तांतरण, या किसी आदेश के लाभ को स्वीकार करता है, तो उसे ऐसे अनुबंध, या हस्तांतरण, या आदेश की वैधता, या बाध्यकारी प्रभाव से इनकार करने से वंचित कर दिया जाता है। यह नियम समानता सुनिश्चित करने के लिए लागू किया जाता है, हालांकि, इसे इस तरह से लागू नहीं किया जाना चाहिए ताकि सही और अच्छे विवेक के सिद्धांतों का उल्लंघन हो। [वीडियो

नागुबाई अम्मल बनाम बी. शमा राव [1956 एससीआर 451: ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 593], सी. आई. टी. बनाम वी. एम. आर. पी. फर्म मुआर [ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1216], रमेश चंद्र सांकला बनाम विक्रम सीमेंट [(2008) 14 एस. सी. सी. 58: (2009) 1 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 706], प्रदीप ऑयल कार्पोरेशन। बनाम एम. सी. डी. (2011) 5 एस. सी. सी. 270: (2011) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 712], कावेरी कॉफ ई ट्रेडर्स बनाम हॉर्नर रिसोर्सेज (इंटरनेशनल) कंपनी लिमिटेड [(2011) 10

एस. सी. सी. 420:(2012) 3 एस. सी. सी. (सिविल) 685] और वी. चंद्रशेखरन बनाम प्रशासनिक अधिकारी

[(2012) 12 एससीसी 133:(2013) 2 एस. सी. सी. (सी. वी.) 136:(2013) 4 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 587:(2013) 3 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 416]

16. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि चुनाव का सिद्धांत बहिष्कार के नियम पर आधारित है-यह सिद्धांत कि कोई भी अनुमोदन और खंडन नहीं कर सकता है, इसमें निहित है। चुनाव द्वारा बहिष्करण का सिद्धांत पेस (या न्यायसंगत बहिष्करण) में बहिष्करण की प्रजातियों में से एक है, जो समानता का नियम है। इस विधि द्वारा, एक व्यक्ति को उसके कार्यों के माध्यम से, 997 से वंचित किया जा सकता है।

मुम्ताज़ यारूद दौला वक्फ बनाम एम/एस बादाम

बालकृष्ण होटल पी. वी. टी. लिमिटेड और ओ. आर. एस. [एम. सुंदरेश, जे.] 998 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 15 एस. सी. आर.

या आचरण, या मौन जब बोलना उसका कर्तव्य है, एक अधिकार का दावा करने से जो उसे अन्यथा होता। "

(जोर दिया गया) 16। जब हम कोरम गैर-न्यायिक से जुड़े मामले से निपटते हैं तो एक सूक्ष्म अंतर होता है। एक मंच के लिए अधिकार क्षेत्र की कमी को नियंत्रित करने वाला सिद्धांत उस मामले से अलग हो सकता है जहां दो या दो से अधिक मंच पक्षों के अधिकारों और देनदारियों के साथ एक ही मुद्दे से निपटते हैं। स्थिति को स्पष्ट करने के लिए, एक मंच को दूसरे के बजाय चुनकर यह देखना होगा कि क्या पक्षों के अधिकारों और देनदारियों में कोई बदलाव आया है। उदाहरण के लिए, हम किरायेदार को बेदखल करने के मामले को ले सकते हैं। यदि उसे केवल किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत बेदखल किया जाना है, जो किरायेदार को एक निश्चित अधिकार प्रदान करता है, जिसे उसमें निहित प्रावधानों के अलावा किसी अन्य तरीके से बेदखल नहीं किया जा सकता है, तो किराया नियंत्रक के समक्ष कार्यवाही के खिलाफ मुकदमे के माध्यम से एक सामान्य विधि का उपाय लागू नहीं किया जा सकता है। मामले के उस दृष्टिकोण में, निश्चित रूप से पूर्वाग्रह का प्रश्न उठेगा। हालांकि, समान अधिकारों और देनदारियों से जुड़े मामले में, लेकिन प्रश्न केवल न्यायिक या अर्ध-न्यायिक होने के संबंध में है, अधिकार क्षेत्र का मुद्दा महत्वहीन हो जाएगा जब इसे बहुत देर से अंतिम पेंच के रूप में उठाया जाना चाहिए। इसलिए, जब उक्त मार्ग को स्वेच्छा से अपनाने वाले दोनों पक्षों के लिए प्रक्रिया समान हो जाती है, तो अधिकार क्षेत्र का प्रश्न वास्तविकता प्राप्त करने के बाद एक-दूसरे के खिलाफ नहीं रखा जा सकता है, जब तक कि यह प्रदर्शित नहीं किया जाता है कि डिग्री का समर्थन करने वाले पक्ष के अधिकार समाप्त हो जाते हैं।

फोरम में बदलाव

17. अब हम पूर्वव्यापी अनुप्रयोग और मंच के परिवर्तन के मुद्दे पर आएंगे। जैसा कि चर्चा की गई है, जब किसी कानून को निर्णय के लिए एक मंच से संबंधित मुद्दे पर संशोधित किया जाता है, तो यह प्रक्रियात्मक होने के कारण पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी होता है। एल. आई. एस. के एक पक्ष को कार्रवाई के खिलाफ मंच का कोई निहित अधिकार नहीं है। किसी विशेष मंच द्वारा किसी भी मूल अधिकार को शामिल किए जाने के अभाव में, किसी को पूर्वव्यापी आवेदन देना होगा। नया भारत

बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम श्रीमती. शांति मिश्रा, वयस्क, (1975) 2 एस. सी. सी. 840,

“5. धारा 110 ए और 110 एफ की सरल भाषा में यह विचार रखने में कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए कि विधि में परिवर्तन केवल एक

मंच का परिवर्तन अर्थात् विशेषण या प्रक्रियात्मक विधि का परिवर्तन, न कि मूल विधि का। यह एक सुस्थापित प्रस्ताव है कि

विधि का ऐसा परिवर्तन पूर्वव्यापी रूप से संचालित होता है और व्यक्ति को नए मंच पर जाना पड़ता है, भले ही मंच के परिवर्तन से पहले उसका कार्रवाई का कारण या कार्रवाई का अधिकार अर्जित हो। उसके पास कार्रवाई का निहित अधिकार होगा लेकिन मंच का निहित अधिकार नहीं होगा। यदि स्पष्ट शब्दों द्वारा नया मंच केवल मंच के निर्माण के बाद उत्पन्न होने वाली कार्रवाई के कारणों के लिए उपलब्ध कराया जाता है, तो विधि के पूर्वव्यापी संचालन को हटा दिया जाता है। अन्यथा सामान्य नियम यह है कि

पूर्वव्यापी। उप-धारा (1) में आने वाली "दुर्घटना से उत्पन्न" और "उस क्षेत्र पर जिसमें दुर्घटना हुई", उप-धारा (2) में उल्लिखित अभिव्यक्तियाँ स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि मंच का परिवर्तन पूर्वव्यापी रूप से संचालित होने के लिए था, इस तथ्य के बावजूद कि दुर्घटना कब हुई थी। उस हद तक सरल तरीके से जवाब देने में कोई अड़चन नहीं थी। लेकिन उप-धारा (3) में निहित 60 दिनों की सीमा के प्रावधान ने विधि के सुस्थापित सिद्धांत के सीधे अनुप्रयोग में बाधा उत्पन्न की। यदि दुर्घटना न्यायाधिकरण के गठन से पहले 60 दिनों के भीतर हुई थी, तो उप-धारा (3) में प्रदान की गई सीमा की बाधा कोई बाधा नहीं थी। न्यायाधिकरण में एक आवेदन को एकमात्र उपाय कहा जा सकता है। यदि किसी न किसी कारण से ऐसा आवेदन 60 दिनों के भीतर नहीं किया जा सका तो न्यायाधिकरण के पास परंतुक के अंतर्गत देरी को माफ करने की शक्ति थी। लेकिन यदि दुर्घटना न्यायाधिकरण के गठन से 60 दिन से अधिक पहले हुई थी, तो उसके चेहरे पर धारा 110 ए की उप-धारा (3) में प्रदान की गई सीमा का प्रतिबंध आकर्षित किया गया था। सीमितता की इस अस्पष्टता के कारण अधिकांश उच्च न्यायालय इस परंतुक से पीछे हट गए और कहा कि ऐसा मामला एक ऐसा मामला होगा जिसमें न्यायाधिकरण उप-धारा (3) के परंतुक के अंतर्गत देरी को माफ करने में सक्षम होगा, और दूसरों को यह कहने के लिए प्रेरित किया कि न्यायाधिकरण के पास इस तरह के

आवेदन पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा और ऐसी स्थिति में दीवानी अदालत में जाने का उपाय अधिनियम की धारा 110 एफ के अंतर्गत वर्जित नहीं था। बाद वाला विचार लेते हुए उच्च न्यायालय इस बात पर ध्यान देने में विफल रहा कि मुख्य रूप से धारा 110 ए और 110 एफ में निहित विधि मंच के परिवर्तन से संबंधित एक विधि था। "

(जोर दिया गया)

18. हितेंद्र विष्णु ठाकुर और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, (1994) 4 एस. सी. सी. 602,999

मुस्ताज़ यारूद दौला वक्फ बनाम एम/एस बादाम

बालकृष्ण होटल पी. वी. टी. लिमिटेड और ओ. आर. एस. [एम. एम. सुंदरेश, जे.] 1000

“26. नामित न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि संशोधन पूर्वव्यापी रूप से कार्य करेगा और उन लंबित मामलों पर लागू होगा जिनमें संशोधन अधिनियम लागू होने की तारीख को जांच पूरी नहीं हुई थी और तब तक अदालत में चालान नहीं चलाया गया था। विभिन्न मामलों में इस न्यायालय द्वारा तय की गई विधि से एक संशोधन अधिनियम के दायरे और दायरे और इसके पूर्वव्यापी संचालन के संबंध में उभरने वाले उदाहरणात्मक लेकिन संपूर्ण नहीं सिद्धांतों को निम्नानुसार निकाला जा सकता है:

(i) एक कानून जो मूल अधिकारों को प्रभावित करता है, उसे तब तक परिचालन में संभावित माना जाता है जब तक कि इसे स्पष्ट रूप से या आवश्यक इरादे से पूर्वव्यापी नहीं बनाया जाता है, जबकि एक कानून जो केवल प्रक्रिया को लागू करता है, जब तक कि ऐसा निर्माण पाठ्य रूप से असंभव न हो, उसे अपने आवेदन में पूर्वव्यापी माना जाता है, इसका एक विस्तारित अर्थ नहीं दिया जाना चाहिए और इसे सख्ती से इसकी स्पष्ट रूप से अवहेलना की गई सीमाओं तक सीमित किया जाना चाहिए।

((ii)) मंच और सीमा से संबंधित विधि प्रक्रियात्मक प्रकृति का है, जबकि कार्रवाई के अधिकार और अपील के अधिकार से संबंधित विधि भले ही उपचारात्मक प्रकृति का हो।

(iii) प्रत्येक वादी को मूल विधि में निहित अधिकार है लेकिन प्रक्रियात्मक विधि में ऐसा कोई अधिकार मौजूद नहीं है।

(iv) एक प्रक्रियात्मक कानून को आम तौर पर पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जाना चाहिए, जहां परिणाम नई अक्षमताओं या दायित्वों को पैदा करना या पहले से किए गए लेनदेन के संबंध में नए कर्तव्यों को लागू करना होगा।

(v) एक कानून जो न केवल प्रक्रिया को बदलता है, बल्कि नए अधिकारों और देनदारियों का भी निर्माण करता है, उसे संचालन में संभावित माना जाएगा, जब तक कि अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है, या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा। "

(जोर दिया गया)

19. नीना अनेजा और एक अन्य बनाम जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड, (2022) 2 एससीसी 161,

“58. एस. ई. बी. आई. ने इस न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि मुकदमे के लिए मंच का परिवर्तन केवल प्रक्रिया का विषय है और इसलिए यह पूर्वव्यापी होगा।

/

[2023] 15 एस सी आर।

2002 और 2014 के संशोधनों में कोई स्पष्ट या निहित इरादा नहीं था कि संशोधनों का उद्देश्य संभावित प्रभाव का होना था। जे. एस. खेहर, जे. ने इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए न्यू इंडिया एस्योरेंस [न्यू इंडिया एश्योरेंस] में अन्य बातों के साथ-साथ निर्णयों को स्वीकार किया।

इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम शांति मिश्रा, (1975) 2 एस. सी. सी. 840], रमेश कुमार सोनी [रमेश कुमार सोनी बनाम एम. पी. राज्य, (2013) 14 एस. सी. सी. 696: (2014) 4 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 340] और हितेंद्र विष्णु ठाकुर [हितेंद्र विष्णु ठाकुर बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1994) 4 एस. सी. सी. 602:1994 एससीसी

(क्रि) 1087], और उस संदर्भ में देखा गया: (क्लासिक क्रेडिट मामला [SEBI बनाम क्लासिक क्रेडिट लिमिटेड, (2018) 13 SCC 1:(2019) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 431], एस. सी. सी. पीपी. 67-68, पैरा 49)

“49. ... हमारे सुविचारित विचार में, इस न्यायालय द्वारा नए भारत सहित कई निर्णयों में दी गई कानूनी स्थिति की व्याख्या की गई है।

आश्वासन कंपनी लिमिटेड बनाम शांति मिश्रा [(1975) 2 SCC 840]; SEBI

बनाम अजय अग्रवाल [(2010) 3 एस. सी. सी. 765:(2010) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 491]

और रमेश कुमार सोनी बनाम एम. पी. राज्य [(2013) 14 एस. सी. सी. 696

:(2014) 4 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 340], स्पष्ट और असंदिग्ध है, अर्थात्, प्रक्रियात्मक संशोधनों को प्रकृति में पूर्वव्यापी माना जाता है, जब तक कि संशोधनकारी क़ानून स्पष्ट रूप से या निहित रूप से अन्यथा प्रदान नहीं करता है। और यह भी कि आम तौर पर परीक्षण के "मंच" का परिवर्तन प्रक्रियात्मक है, और आम तौर पर उपरोक्त प्रस्ताव का पालन करते हुए, इसे प्रकृति में पूर्वव्यापी माना जाता है जब तक कि संशोधनकारी क़ानून अन्यथा प्रदान नहीं करता है। इस संकल्प से उभरता है

हितेन्द्र विष्णु ठाकुर बनाम राज्य मामले में इस न्यायालय का निर्णय

महाराष्ट्र का [(1994) 4 एस. सी. सी. 602:1994 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1087];
रणबीर यादव बनाम बिहार राज्य [(1995) 4 एस. सी. सी. 392:1995 एससीसी

(क्रि) 728] और कमलेश कुमार बनाम झारखंड राज्य [(2013)

15 एससीसी 460:(2014) 6 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 489], साथ ही, ऊपर उल्लिखित
करई और निर्णय। "

59. उपरोक्त टिप्पणियां इस न्यायालय के स्पष्ट दृष्टिकोण को इंगित करती हैं कि:

59.1. व्यक्त या निहित विपरीत इरादे के अभाव में, प्रक्रियात्मक संशोधनों को पूर्वव्यापी
माना जाता है।

59.2. मुकदमे के मंच में बदलाव एक प्रक्रियात्मक मामला है।

1001

मुम्ताज़ यारूद दौला वक्फ बनाम एम/एस बादाम

बालकृष्ण होटल पी. वी. टी. लिमिटेड और ओ. आर. एस. [एम. सुंदरेश, जे.] 1002 सर्वोच्च न्यायालय
रिपोर्ट [2023] 15 एस. सी. आर.

59.3. चूंकि मंच का परिवर्तन प्रक्रियात्मक है, एक कानून जो परिवर्तन लाता है, उसे
विपरीत इरादे के अभाव में पूर्वव्यापी माना जाता है।

xxxxxx

सी. 23. विधि की स्थिति पर निष्कर्ष

72. उन असंख्य उदाहरणों पर विचार करते हुए जिन्होंने लंबित कार्यवाही और
पूर्वव्यापीता पर मंच में परिवर्तन के प्रभाव की व्याख्या की है-विधि की एक स्पष्ट स्थिति
सामने आई है: मंच में परिवर्तन प्रक्रिया के दायरे में आता है। तदनुसार, प्रक्रियात्मक विधि
पर लागू वैधानिक व्याख्या के सिद्धांतों के अनुपालन में, प्रक्रिया के मामलों पर संशोधन
पूर्वव्यापी हैं, जब तक कि कानून से कोई विपरीत इरादा सामने नहीं आता है। यह स्थिति न्यू
इंडिया एस्योरेंस (न्यू इंडिया एस्योरेंस) के फैसलों से सामने आती है।

आश्वासन कंपनी लिमिटेड बनाम शांति मिश्रा, **(1975) 2 एस. सी. सी. 840]**, मारिया
क्रिस्टिना [मारिया क्रिस्टिना डी सूजा सोडर बनाम अग्रिया जुराना परेरा पिंटो, **(1979)**
1 एस. सी. सी. 92], हितेंद्र विष्णु ठाकुर [हितेंद्र विष्णु]

ठाकुर बनाम महाराष्ट्र राज्य, **(1994) 4 एससीसी 602:1994 एससीसी (सीआरआई)**
1087], रमेश कुमार सोनी [रमेश कुमार सोनी बनाम एमपी राज्य],

(2013) 14 एससीसी 696:(2014) 4 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 340] और सुधीर जी. अंगुर [सुधीर जी. अंगुर बनाम एम. संजीव, **(2006) 1 एस. सी. सी. 141]**। हाल ही में, इस स्थिति को तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में नोट किया गया है इस न्यायालय ने मनीष कुमार बनाम भारत संघ **[(2021) 5 एस. सी. सी. 1:**

(2021) 3 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 50] हालांकि, ढाडी साहू [सी. आई. टी. बनाम ढाडी साहू, **1994 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 257]** में इस न्यायालय के दो-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले से विचलन हुआ, जिसने न्यू इंडिया एक्सप्रेस [न्यू इंडिया] में एक बड़ी तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले की अनदेखी की।

आश्वासन कंपनी लिमिटेड बनाम शांति मिश्रा, **(1975) 2 एस. सी. सी. 840]** और एक मारिया क्रिस्टिना [मारिया क्रिस्टिना डे] में दो-न्यायाधीशों की पीठ का समन्वय करें सौजा सोडर बनाम अम्रिया जुराना परेरा पिंटो, **(1979) 1 एस. सी. सी. 92]**।

ढाडी साहू [सी. आई. टी. बनाम ढाडी साहू, 1994 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 257] में निर्णय ने एक स्थिति का प्रतिपादन किया कि: (ढाडी साहू मामला [सी. आई. टी. बनाम ढाडी साहू, 1994 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 257], एस. सी. सी. पी. 262, पैरा 21)

“21. ... प्रक्रियात्मक विधि के मामले में किसी भी वादी का कोई निहित अधिकार नहीं है, लेकिन जहां मंच के परिवर्तन का प्रश्न है, वह केवल प्रक्रिया का प्रश्न नहीं रह जाता है। अपील या कार्यवाही का मंच

किसी विशेष मंच के समक्ष पालन की जाने वाली शुद्ध प्रक्रिया के विपरीत यह एक निहित अधिकार है। न्यायाधिकरण में कार्यवाही शुरू होने पर अधिकार निहित हो जाता है। ”

(जोर दिया गया) इस दृष्टिकोण को लेते हुए, दो-न्यायाधीशों की पीठ ने बाध्यकारी निर्णयों पर विचार नहीं किया। ढाडी साहू [सी. आई. टी. बनाम ढाडी साहू, 1994 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 257] मोहम्मद में लंबित कार्यवाही को बचाने पर विचार करने में विफल रहे। इदरीस [मोहम्मद। इदरीस बनाम सत नारायण, (1966) 3 एससीआर 15:ए. आई. आर. 1966 एससी 1499] और मनुजेंद्र दत्त [मनुजेंद्र दत्त बनाम पूर्णेंद्र प्रसाद]

रॉय चौधरी, (1967) 1 एससीआर 475:ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 1419] उन वादियों के निहित अधिकारों की रक्षा थी जो उनमें निरस्त करने वाले अधिनियमों से प्रभावित हो रहे थे, न कि इसलिए कि कार्यवाही शुरू होने के बाद मंच का अधिकार अर्जित किया जाता है। इसके बाद, ढाडी साहू [सी. आई. टी. बनाम ढाडी साहू, 1994 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 257] के बाद निर्णयों की एक पंक्ति आई, जिसमें कहा गया कि कार्यवाही शुरू होने के बाद एक वादी को एक मंच पर स्पष्ट अधिकार है। सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत

परिकल्पित मूल अधिकारों के अलावा, संशोधन या निरसन से पहले एक वादी के निहित अधिकारों (अपील के अधिकार सहित) को निस्संदेह संरक्षित किया जाता है। यह संरक्षण प्रक्रिया के शुद्ध मामलों तक विस्तारित नहीं है। मंच में परिवर्तनों को प्रभावी बनाने वाले निरसन या संशोधन सामान्य रूप से लंबित कार्यवाही को प्रभावित करेंगे, जब तक कि निरसन या संशोधन करने वाले क़ानून से कोई विपरीत इरादा प्रकट नहीं होता है। "

न्यायपालिका के अस्तित्व के बारे में न्यायालय को खुद को संतुष्ट करना चाहिए

संहिता की धारा 9

“9. अदालतें सभी दीवानी मुकदमों की सुनवाई तब तक करें जब तक कि वे प्रतिबंधित न हों।—न्यायालयों को (इसमें निहित प्रावधानों के अधीन) उन मुकदमों को छोड़कर नागरिक प्रकृति के सभी मुकदमों की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र होगा, जिनमें उनका संज्ञान या तो स्पष्ट रूप से या निहित रूप से वर्जित है।

स्पष्टीकरण I-एक मुकदमा जिसमें संपत्ति या किसी अधिकारी के अधिकार का विरोध किया जाता है, एक नागरिक प्रकृति का मुकदमा है, इसके बावजूद कि ऐसा अधिकार पूरी तरह से धार्मिक संस्कारों या समारोहों के बारे में प्रश्नों के निर्णय पर निर्भर हो सकता है।

1003

मुम्ताज़ यारूद दौला वक्फ बनाम एम/एस बादाम

बालकृष्ण होटल पी. वी. टी. लिमिटेड और ओ. आर. एस. [एम. सुंदरेश, जे.] 1004 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 15 एस. सी. आर.

स्पष्टीकरण II-इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यह मायने नहीं रखता कि स्पष्टीकरण I में निर्दिष्ट कार्यालय से कोई शुल्क संलग्न है या नहीं या ऐसा कार्यालय किसी विशेष स्थान से संलग्न है या नहीं। "

20. संहिता की धारा 9 के उचित निर्माण पर, यह स्पष्ट है कि न्यायालय को अधिकार क्षेत्र के अस्तित्व के बारे में प्रथम दृष्टया खुद को संतुष्ट करना होगा। इस तरह की कवायद पार्टियों को अनावश्यक रूप से परेशान करने से रोकेगी।

जोखिम और कठिनाई। वंकामामिडी वेंकट सुब्बा राव बनाम चटलापल्ली सीतारमरत्न रंगनायकम्मा, (1997) 5 एस. सी. सी. 460,

“15. वट्टीचेरुकुरु ग्राम पंचायत बनाम नोरी मामले में यह न्यायालय

वेंकटरामा दीक्षितुलु [1991 सप्लीमेंट (2) एस. सी. सी. 288] ने पूरे मामले-कानून पर विचार करने के बाद कहा था कि दीवानी न्यायालय को निपटान प्राधिकरणों द्वारा दिए गए पट्टा की शुद्धता में जाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। सी. पी. सी. की धारा 9 अंतर्गत अदालतों को, उसमें निहित प्रावधानों के अधीन रहते हुए, सिविल प्रकृति के सभी मुकदमों की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र होगा, सिवाय उन मुकदमों के जिनका संज्ञान या तो स्पष्ट रूप से या

निहित रूप से वर्जित है। जब किसी कानूनी अधिकार का उल्लंघन किया जाता है, तो मुकदमा तब तक चलेगा जब तक कि ऐसे दीवानी मुकदमे के मनोरंजन के खिलाफ कोई रोक न हो और दीवानी अदालतें इसका संज्ञान लेंगी। इसलिए, विधि का सामान्य नियम यह है कि दीवानी अदालतों को दीवानी प्रकृति के सभी मुकदमों की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है, सिवाय उन मुकदमों के जिनके संज्ञान को या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से बाहर रखा गया है। निर्माण का नियम यह माना जाता है कि प्रत्येक धारणा विधि के शासन और दीवानी अदालतों के अधिकार क्षेत्र द्वारा शासित लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक अधिकार और उपचार के अस्तित्व के पक्ष में की जाएगी। इसलिए, बहिष्करण आम तौर पर एक अपवाद होगा। अदालतें आम तौर पर प्रावधानों का सख्ती से अर्थ निकालती हैं जब दीवानी अदालतों के अधिकार क्षेत्र को बाहर रखने का दावा किया जाता है। लेकिन विकास में

न्यायनिर्णयन के लंबित रहने और पदानुक्रमित चरणों में असामान्य देरी के कारण नागरिक विवादों का नागरिक न्यायनिर्णयन, कानून हस्तक्षेप करते हैं और कम खर्चीले लेकिन त्वरित निपटान के साथ विवादों के समाधान का वैकल्पिक तरीका प्रदान करते हैं। यह तय कानूनी स्थिति है कि यदि सीमित अधिकार क्षेत्र वाला न्यायाधिकरण अधिकार क्षेत्र ग्रहण नहीं कर सकता है और विवाद को निर्णायक रूप से अपने लिए तय नहीं कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में, यह न्यायालय है जिसे यह तय करने की आवश्यकता है कि क्या सीमित अधिकार क्षेत्र वाले न्यायाधिकरण ने सही ढंग से अधिकार क्षेत्र ग्रहण किया है और

विवाद का फैसला अपनी सीमा के भीतर किया। यह भी समान रूप से तय किया जाता है कि जब किसी न्यायाधिकरण को अधिकार क्षेत्र प्रदान किया जाता है, तो अदालतें इस बात की जांच करती हैं कि क्या न्यायाधिकरणों द्वारा अधिकार क्षेत्र के आवश्यक सिद्धांतों का पालन किया गया है और निर्णय गुण-दोष पर न्यायाधिकरण पर छोड़ दिया गया है। यह भी एक समान रूप से स्थापित कानूनी स्थिति है कि जहां कोई कानून विशेष न्यायाधिकरण के आदेशों को वास्तविकता देता है, वहां दीवानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बाहर रखा जाना चाहिए, अगर ऐसा करने के लिए पर्याप्त उपाय है जो दीवानी न्यायालय आम तौर पर एक मुकदमे में करती है। हालाँकि, ऐसा प्रावधान उन मामलों को बाहर नहीं करता है जहाँ विशेष अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है या सांविधिक न्यायाधिकरण ने न्यायिक प्रक्रिया के मौलिक सिद्धांतों के अनुरूप कार्य नहीं किया है। जहां न्यायालय की अधिकारिता की एक स्पष्ट बाधा है, वहां प्रदान किए गए उपचारों की पर्याप्तता या पर्याप्तता को सुनिश्चित करने के लिए विशेष अधिनियम की योजना की जांच प्रासंगिक हो सकती है, लेकिन दीवानी न्यायालय की अधिकारिता को बनाए रखने के लिए निर्णायक नहीं है। जहां कोई स्पष्ट बहिष्करण नहीं है, उपचारों की जांच और इरादे को पूरा करने के लिए विशेष अधिनियम की योजना आवश्यक हो जाती है और जांच का परिणाम निर्णायक हो सकता है। बाद के मामले में, यह आवश्यक है कि कानून एक विशेष अधिकार या दायित्व का निर्माण करे और अधिकार या दायित्व के निर्धारण के लिए प्रक्रिया प्रदान करे और आगे यह निर्धारित करे कि उक्त अधिकार या दायित्व के बारे में सभी प्रश्न इस प्रकार

गठित न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाएंगे और क्या उपचार सामान्य रूप से दीवानी अदालतों में कार्रवाई से जुड़े हैं या कानूनों द्वारा निर्धारित हैं या नहीं। इसलिए, प्रत्येक मामले में इस बात की जांच की आवश्यकता होती है कि क्या कानून अधिकार और उपचार प्रदान करता है और क्या अधिनियम की योजना यह है कि प्रदान की गई प्रक्रिया निर्णायक होगी और इस प्रकार उसके संबंध में दीवानी न्यायालय की अधिकारिता को बाहर कर देगी। स्वतंत्रता के आगमन के बाद,

भूमि सुधार सरकार की भूमि कार्यकाल की सामंती प्रणाली को समाप्त करने और भूमि जोतने वाले को रैयतवारी पट्टा प्रदान करने की नीतियों में से एक था। इस प्रकार, भूमि सुधार कानून पहले से मौजूद अधिकारों को समाप्त कर देते हैं और अधिनियम के अंतर्गत नए अधिकार पैदा करते हैं। यह अधिनियम न्यायाधिकरणों को उनसे संबंधित मामलों में अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है और इसके अंतर्गत पारित आदेशों को वास्तविकता देते हुए अपीलों/संशोधनों का पदानुक्रम प्रदान किया जाता है। इस प्रकार, आवश्यक निहितार्थ से, अधिकारिता 1005

मुस्ताज़ यारूद दौला वक्फ बनाम एम/एस बादाम

बालकृष्ण होटल पी. वी. टी. लिमिटेड और ओ. आर. एस. [एम. सुंदरेश, जे.] 1006 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 15 एस. सी. आर.

भूमि सुधार कानूनों के अंतर्गत आने वाले नागरिक प्रकृति के मुकदमों का संज्ञान लेने के लिए दीवानी न्यायालय के निर्णय को न केवल न्यायाधिकरण के फैसलों को वास्तविकता देते हुए, बल्कि न्यायाधिकरण द्वारा मामलों के त्वरित, सस्ती और सरल निपटान प्रक्रिया सुनिश्चित करने और भूमि के जुताई करने वाले को दिए गए रैयतवारी पट्टा को निर्णायक बनाने से भी अलग रखा गया है। सिविल प्रक्रिया के सामान्य पाठ्यक्रम अंतर्गत अधिनियमों के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में दीवानी मुकदमों के मुकदमे का अधिकार क्षेत्र समय लेने वाला और सुस्त होने के कारण वितीय समर्थन की कमी या अन्यथा दीवानी अदालतों में अधिकारों की रक्षा करने या काम करने में असमर्थता और अपील के पदानुक्रम द्वारा न्याय को विफल कर देता है। जाहिर है, इसलिए, दीवानी मुकदमों को आवश्यक निहितार्थ से तब तक बाहर रखा जाता है जब तक कि भूमि सुधार कानूनों के अंतर्गत गठित न्यायाधिकरणों द्वारा प्रक्रिया के मौलिक सिद्धांतों का पालन नहीं किया जाता है। इस मामले में, संबंधित अधिनियम पहले से मौजूद अधिकार को समाप्त कर देता है, अधिनियम के अंतर्गत नए अधिकार पैदा करता है और न्यायाधिकरणों को प्रतिद्वंद्वी दावों की जांच करने की आवश्यकता होती है और प्राथमिक प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील का एक रूप प्रदान किया गया है। इसके द्वारा अधिनियम के अंतर्गत निर्णायक बनाए गए अधिकार और उपचार को अधिनियम के अंतर्गत पारित आदेशों द्वारा वैधता दी जाती है। इस प्रकार, आवश्यक निहितार्थ से, दीवानी न्यायालय की अधिकारिता को बाहर रखा गया है। "

(जोर दिया गया) 21. हर मामला सच्चाई की ओर एक यात्रा है। एक प्रक्रियात्मक विधि, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा बार-बार तय किया जाता है, न्याय की सहायक होती है। न्यायालय की कार्यवाहियों में समानता और निष्पक्षता की अंतर्निहित भावना होती है। जब किसी याचिका पर विचार किया जाता है तो पक्षकारों द्वारा नहीं उठाए जाने के बावजूद, स्वयं की जाँच करना और अधिकार क्षेत्र के अस्तित्व को संतुष्ट करना न्यायालय का सर्वोच्च कर्तव्य होता है। इस तरह की कवायद न केवल अन्याय को रोकेगी, बल्कि अपनी गलती का फायदा उठाने वाले पक्ष का भी ध्यान रखेगी। इस सिद्धांत को लागू करना होगा

कोई भी आदमी नहीं ले सकता है

न्याय के किसी भी गर्भपात को रोकने के लिए अपने स्वयं के गलत का लाभ)। जब न्यायालय को संतुष्ट किया जाता है कि विवाद का एक पक्ष अवैधता को कायम रखने और दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रक्रिया में हेरफेर कर रहा है, तो उसे सही न्याय प्रदान करके प्रक्रियात्मक फंसाव से परे जाना चाहिए। अशोक

कपिल बनाम सना उल्ला, (1996) 6 एससीसी 342,

“7. यदि महत्वपूर्ण तिथि आवंटन आदेश की तारीख है, तो संरचना एक इमारत नहीं थी जैसा कि अधिनियम में कहा गया है। लेकिन क्या उत्तरदाता कर सकता है?

शरारत का लाभ उठाने के लिए विधि की न्यायालय द्वारा सहायता की जाए

उसके द्वारा किया गया? उक्ति "नुल्लस कमोडम कैपेरे पोटेस्ट"

(कोई भी व्यक्ति अपनी गलती का फायदा नहीं उठा सकता) समानता के मुख्य सिद्धांतों में से एक है। इसलिए, सामान्य रूप से, प्रतिवादी अपने स्वयं विधि गलत विधि फल का आनंद लेने विधि लिए न्यायालय की सहायता प्राप्त नहीं कर सकता है। "

(जोर दिया गया)

22. यूरेका फोर्ब्स लिमिटेड बनाम. इलाहाबाद बैंक, (2010) 6 एससीसी 193,

“66. मैक्सिम नलस कमोडम कैपेरे पोटेरे डी इंजुरिया

सुआ प्रोप्रिया के पास विधि का एक स्पष्ट जनादेश है कि, एक व्यक्ति जो किसी प्रक्रिया में हेरफेर करके दूसरों के विधि की अधिकारों को विफल कर देता है, उसे अपने गलत या विधि की अधिकारों का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

हेरफेर। वर्तमान मामले में प्रत्यर्थी 2 और 3 और अपीलार्थी ने काल्पनिक वस्तुओं का निपटान करते समय एक साथ काम किया है, और अब, उन्हें यह तर्क देने के लिए वापस लौटने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि चूंकि माल बेचा गया है, इसलिए प्रत्यर्थी 2 और 3 पर और किसी भी मामले में अपीलार्थी पर दायित्व नहीं लगाया जा सकता है। द.

अशोक कपिल बनाम सना उल्ला [(1996) 6 एस. सी. सी. मामले में इस न्यायालय की पीठ

342] शरारत के शासन को संदर्भित करते हुए और "भवन" शब्द की व्याख्या करते हुए, निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया:(एस. सी. सी. पी. 346, पैरा 11)

“11. स्ट्रौड्स जुडिशियल डिक्शनरी (वॉल्यूम। 5 म संस्करण का I.)

इसमें कहा गया है कि 'इमारत क्या है, यह हमेशा डिग्री और परिस्थितियों का प्रश्न होना चाहिए'।विक्टोरिया शहर से उद्धरण

कॉर्प.व. वैंकूवर द्वीप के बिशप [(1921) 2 एसी 384 (पीसी)]

(एसी एट पी. 390), प्रसिद्ध कोशकार ने टिप्पणी की कि 'इमारत' शब्द के सामान्य और प्राकृतिक अर्थ में कपड़ा और वह जमीन शामिल है जिस पर यह खड़ा है'।ब्लैक विधि डिक्शनरी (5 वीं संस्करण) में 'इमारत' का अर्थ 'एक संरचना या इमारत जो इसकी दीवारों के भीतर एक जगह को घेरती है, और आमतौर पर, लेकिन जरूरी नहीं कि, एक छत से ढकी हुई हो' के रूप में दिया गया है।(मूल में जोर)।उक्त विवरण इस तथ्य की मान्यता है कि छत एक इमारत के लिए आवश्यक और अपरिहार्य सहायक नहीं है क्योंकि छत रहित इमारतें हो सकती हैं।इसलिए एक इमारत, छत खोने के बाद भी, अपने सामान्य अर्थ में एक इमारत बनी रह सकती है।1007 लेते हुए

मुम्ताज़ यारूद दौला वक्फ बनाम एम/एस बादाम

बालकृष्ण होटल पी. वी. टी. लिमिटेड और ओ. आर. एस. [एम. सुंदरेश, जे.] 1008 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 15 एस. सी. आर.

वर्तमान संदर्भ में इस तरह के सामान्य अर्थ का सहारा लेने से शरारत को रोकने में मदद मिलेगी। "

(जोर दिया गया) 23।अपने अधिकार क्षेत्र को सीमित करने में न्यायालय के अनिवार्य कर्तव्य पर ध्यान दिया गया है और ग्रीफी थ, सी. जे. द्वारा फेडरेटेड में संक्षिप्त रूप से निपटा गया है।

इंजन ड्राइवर्स एंड फायरमेन एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया बनाम ब्रोकन हिल प्रोपराइटरी कंपनी लिमिटेड, **(1911) 12 सी. एल. आर. 398,**

“यदि वे मौजूद हैं, तो यह पूछना कोई मायने नहीं रखता कि राष्ट्रपति किस रास्ते से सही निष्कर्ष पर पहुंचे।यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो यह पूछना भी उतना ही महत्वपूर्ण नहीं है कि वह कैसे गलती में पड़ गया।ऐसे मामले में यह न्यायालय उनकी ओर से अपील का न्यायालय नहीं है।

लेकिन प्रत्येक न्यायिक अधिकारी का पहला कर्तव्य खुद को संतुष्ट करना है कि उसके पास अधिकार क्षेत्र है, अगर केवल पक्षों को अनावश्यक रूप से परेशान करने से बचने के लिए।

जोखिम और व्यय। इस संबंध में एक गंभीर जिम्मेदारी राष्ट्रपति पर निर्भर करती है, जिसका अधिकार क्षेत्र संविधान और अधिनियम दोनों द्वारा सीमित है। यह जिम्मेदारी इस संभावना से कम नहीं होती है कि वह अपूर्ण या गलत जानकारी से गुमराह हो सकता है। स्वयं को संतुष्ट करने का तरीका अलग-अलग मामलों में भिन्न हो सकता है। सामान्य विधि के समक्ष आने वाले अधिकांश मामलों में कोई जांच करने की आवश्यकता नहीं होती है। "

(जोर दिया गया) 24। विधि के उपरोक्त सिद्धांत को न्यू साउथ वेल्स न्यायालय ऑफ अपील (ऑस्ट्रेलिया) द्वारा झांग बनाम जेमिन में अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया है।

(2010) 79 एनएसडब्ल्यूएलआर 513 ", 37. अपीलार्थी की दलीलों को अस्वीकार करने का एक और, वैकल्पिक कारण यह है कि अधिकार की एक लंबी रेखा है कि एक न्यायालय को खुद को संतुष्ट करना चाहिए कि उसके पास अधिकार क्षेत्र है, चाहे कोई पक्ष द्वारा अधिकार क्षेत्र का मुद्दा उठाया गया हो या नहीं।

38. जैसा कि श्री एच बर्मिस्टर क्यूसी, जो अटॉर्नी की ओर से पेश हुए, ने प्रस्तुत किया, न्यायालय को इस मुद्दे को संबोधित करना पड़ता, भले ही अटॉर्नी ने हस्तक्षेप न किया हो और यहां तक कि डिफॉल्ट निर्णय के लिए आवेदन के बिना भी।

39. इसकी अधिकारिता है या नहीं, इसके निर्धारण को न्यायालय का "प्रथम कर्तव्य" बताया गया है। (फेडरेटेड इंजन ड्राइवर्स एंड फायरमेन एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया बनाम ब्रोकन हिल पीटीवाई कंपनी लिमिटेड **(1911) 12 सीएलआर 398 415** प्रति ग्रिफी **th** सीजे देखें।) उस मामले में एक न्यायिक तथ्य प्रदान करने वाली एक विधायी योजना शामिल थी। जैसा कि इसाक जे ने उस संदर्भ में **454** में कहा:

"(अदालत) को शुरू में जो करना है वह अपने मन को संतुष्ट करने के लिए है कि वह संसद द्वारा निर्धारित सीमाओं को पार नहीं कर रही है। "

40. इसी तरह के प्रभाव बार्टन जे की टिप्पणियाँ हैं जब उन्होंने **428** पर कहा था:

"जहाँ अधिकारिता विवादित है, वहाँ पर्याप्त और सावधानीपूर्वक जाँच अभी भी उच्च न्यायालय का कर्तव्य है। दूसरी ओर, जहाँ बचाव करने वाले पक्ष द्वारा अधिकारिता का विरोध नहीं किया जाता है, वहाँ बहुत कम जांच पर्याप्त हो सकती है, और न्यायाधिकरण के दिमाग में कई मामले इतने स्पष्ट रूप से होंगे कि जब तक आपत्ति नहीं ली जाती है, तब तक वह जांच को त्याग देगा, और आक्षेपकर्ता अपने समर्थन में तथ्यों का प्रमाण देता है। "

41. फेडरेटेड इंजन ड्राइवर्स सुप्रा में ग्रिफी **th** सी. जे. और बार्टन जे. की टिप्पणियों को फुलागर जे. ने द किंग में लागू किया था।

v ब्लेकले; पूर्व पक्ष द एसोसिएशन ऑफ आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, सर्वेयर्स एंड ड्राफ्ट्समैन ऑफ ऑस्ट्रेलिया **(1950) 82 सी. एल. आर. 54 90 -**

91, जहाँ उनके सम्मान ने "कर्तव्य" की भाषा को स्वीकार किया।

42. कॉकल बनाम इसाकसेन **(1957) 99** सी. एल. आर. **155** में, कोई भी पक्ष किसी विशेष अपील की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को चुनौती नहीं देना चाहता था। हालाँकि, न्यायालय ने राष्ट्रमंडल को वैधता के मुद्दे पर बहस करने के लिए हस्तक्षेप करने की अनुमति दी, उस मामले में, एक पक्ष बने बिना।

XXXXXX

44. ऊपर उद्धृत **[40]** फेडरेटेड इंजन ड्राइवर्स में बार्टन जे की टिप्पणियाँ इंगित करती हैं कि किसी पक्ष द्वारा कार्यवाही के लिए अधिकार क्षेत्र के मुद्दे को उठाना आवश्यक नहीं है। वह बात **1009**

मुम्ताज़ यारूद दौला वक्फ बनाम एम/एस बादाम

बालकृष्ण होटल पी. वी. टी. लिमिटेड और ओ. आर. एस. [एम. सुंदरेश, जे.] 1010 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 15 एस. सी. आर.

इससे पहले उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया था कि

संघीय समामेलित सरकारी रेलवे और ट्रामवे सेवा संघ बनाम एनएसडब्ल्यू रेलवे में प्रारंभिक आवेदन

ट्रेफी सी कर्मचारी संघ **(1906) 4** सी. एल. आर. **488**। कानून की वैधता के संबंध में एक हस्तक्षेपकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति को इस आधार पर उठाया गया था कि इस तरह के मुद्दे को पक्षों के बीच मुकदमेबाजी के अलावा नहीं उठाया जाना चाहिए, जहां वैधता के मुद्दे को निर्धारित करना आवश्यक है। ग्रिफी **th** सी. जे., जिनके साथ बार्टन और ओ 'कॉनर जे. जे. सहमत थे, ने **495** पर कहा:

“अधिकारिता का एक बिंदु, जब इसे गंभीरता से उठाया जाता है या यदि यह किसी पक्ष द्वारा लिए बिना न्यायालय के समक्ष खुद का सुझाव देता है, तो इसकी उचित रूप से अवहेलना नहीं की जा सकती है। ”

(जोर दिया गया) 25। उपरोक्त सिद्धांत पर विचार करने और इसे भारत में न्यायालयों पर लागू करने के बाद, हम यह मानने के लिए इच्छुक हैं कि ऐसा करने में न्यायालय की ओर से कोई भी विफलता कानूनी उक्ति "एक्टस क्यूरी नेमिनेम ग्रेवबिट" (किसी को भी न्यायालय के किसी अधिनियम द्वारा पूर्वाग्रहित नहीं किया जाएगा) को आकर्षित करेगी।

परिणामस्वरूप, ऐसे मामले में जहां कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र की जांच करने में विफल रहा है और बाद में एक याचिका दायर की गई है और वह भी एक प्रतिकूल निर्णय

प्राप्त करने के बाद, मंच को अधिकार क्षेत्र की कमी के रूप में घोषित नहीं किया जाएगा, विशेष रूप से जब इसके अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों को कोई स्पष्ट नुकसान नहीं होता है।

एक विशेष कानून।इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल और अन्य, (2020) 8 एस. सी. सी. 129,

“320. मैक्सिम एक्टस क्यूरी निमेनेम ग्रेवबिट की स्थापना इस पर की गई है

न्यायालय की कार्यवाही या न्यायालय के कृत्यों के कारण, किसी भी पक्ष को पर्याप्त नहीं होना चाहिए। यदि मुकदमेबाजी के लंबित रहने के दौरान कोई अंतरिम आदेश दिए जाते हैं, तो वे मामले में अंतिम निर्णय के अधीन होते हैं। यदि मामला बिना योग्यता के खारिज कर दिया जाता है, तो अंतरिम आदेश स्वचालित रूप से भंग हो जाता है। यदि मामला बिना किसी योग्यता के चलाया गया है, तो

अधिकतम कमोडम एक्स इंजुरिया सुआ नेमो हेबेरे डेबेट को आकर्षित करता है,

अर्थात्, किसी पक्ष को उसकी अपनी गलती से सुविधा नहीं मिल सकती है। किसी भी व्यक्ति को अपनी गलती का फायदा नहीं उठाना चाहिए। यदि मुकदमेबाजी को तुच्छ रूप से या बिना किसी आधार के, विलंब करने के लिए अन्यायपूर्ण रूप से चलाया गया है और इससे इसमें देरी होती है, तो ऐसे व्यक्ति के पक्ष में कोई समानता नहीं है। ऐसे मामलों का निर्णय गुण-दोष के आधार पर किया जाना आवश्यक है। में

मृत्युंजय पानी बनाम नर्मदा बाला सासमल [ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 1353], यह न्यायालय ने कहा कि: (आकाशवाणी पृष्ठ 1355, पैरा 5) "5. ... यही सिद्धांत लैटिन उक्ति में शामिल है।

कमोडम एक्स इंजुरिया सुआ नेमो हेबेरे डेबेट, अर्थात्,

किसी पक्ष को उसकी अपनी गलती से सुविधा नहीं मिल सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी को भी अपने गलत कार्य से लाभ उठाने की अनुज्ञात नहीं दी जा सकती है। "

×××××

324. महादेव सावलाराम शेल्के बनाम पुणे नगर निगम। [(1995)

3 एस. सी. सी. 33], यह देखा गया है कि न्यायालय अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत न्यायालय के अधिनियम द्वारा प्रतिवादियों द्वारा किए गए नुकसान को कम करने का कर्तव्य निभा सकता है। न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए इस तरह की कार्रवाई आवश्यक है। अमरजीत सिंह बनाम देवी रतन [(2010) 1 एस. सी. सी. 417; (2010) 1 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 1108], और राम कृष्ण

वर्मा [राम कृष्ण वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1992) 2 एस. सी. सी. 620]

यह मत व्यक्त किया गया कि कोई भी व्यक्ति न्यायालय के कार्य से पर्याप्त नहीं हो सकता है और अंतरिम आदेश के अनुचित लाभ को बेअसर किया जाना चाहिए। अमरजीत सिंह [अमरजीत सिंह बनाम देवी रतन, (2010) 1 एस. सी. सी. 417:(2010) 1 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 1108], इस न्यायालय ने कहा:(एस. सी. सी. पीपी. 422-23, पैरा 17-18)

“17. कोई भी वादी विधि की न्यायालय में केवल मामले के लंबित होने से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि अंतरिम आदेश हमेशा मामले में पारित किए जाने वाले अंतिम आदेश में विलय हो जाता है, और यदि रिट याचिका अंततः खारिज हो जाती है, तो अंतरिम आदेश स्वचालित रूप से रद्द हो जाता है। किसी पक्ष को अंतरिम आदेश प्राप्त करके और उसके बाद न्यायालय को दोष देकर अपनी गलतियों का कोई लाभ उठाने की अनुज्ञात नहीं दी जा सकती है। तथ्य यह है कि रिट अंततः किसी भी योग्यता से रहित पाई जाती है, यह दर्शाता है कि एक तुच्छ रिट याचिका दायर की गई थी। मैक्सिम एक्टस क्यूरी नेमेनेम ग्रेवबिट, जिसका अर्थ है कि न्यायालय का कार्य किसी पर पूर्वाग्रह नहीं करेगा, ऐसे मामले में लागू हो जाता है। ऐसी तथ्य स्थिति अंतर्गत, न्यायालय के कार्य द्वारा किसी पक्ष के साथ किए गए गलत कार्य को पूर्ववत करने के लिए न्यायालय बाध्य है। इस प्रकार, न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने वाले पक्ष द्वारा प्राप्त किसी भी अनुचित या अनुचित लाभ को बेअसर किया जाना चाहिए, क्योंकि मुकदमेबाजी की संस्था को विलंबित कार्रवाई से किसी भी लाभ प्रदान करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

न्यायालय । (शिव शंकर बनाम यू. पी. एस. आर. टी. सी. [1995 सप्लीमेंट (2) एस. सी. सी. 1011

मुम्ताज़ यारूद दौला वक्फ बनाम एम/एस बादाम

बालकृष्ण होटल पी. वी. टी. लिमिटेड और ओ. आर. एस. [एम. सुंदरेश, जे.] 1012 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 15 एस. सी. आर.

726 :1995 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 1018], जी. टी. सी. इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम. भारत संघ [(1998) 3 एस. सी. सी. 376] और जयपुर नगर निगम। वी. सी. एल. मिश्रा [(2005) 8 एस. सी. सी. 423]।

18. राम कृष्ण वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(1992) 2 एस. सी. सी. 620] में, इस न्यायालय ने इस पर भरोसा करते हुए इसी तरह के मुद्दे की जांच की

ग्रिंडलेज़ बैंक लिमिटेड बनाम में इसका पिछला निर्णय । सीआईटी [(1980) 2

एससीसी 191:1980 एस. सी. सी. (कर) 230] और अभিনিर्धारित किया कि कोई भी व्यक्ति न्यायालय के अधिनियम के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है और यदि कोई अंतरिम आदेश पारित किया गया है, और याचिकाकर्ता इसका लाभ उठाता है, और अंततः याचिका बिना

किसी योग्यता के पाई जाती है और खारिज कर दी जाती है, तो न्याय के हित के लिए आवश्यक है कि न्यायालय की अधिकारिता का आह्वान करने वाले पक्ष द्वारा प्राप्त किसी भी अनुचित या अनुचित लाभ को बेअसर किया जाना चाहिए। "

325. कर्नाटक में दुर्लभ पृथ्वी बनाम विभाग।खान और भूविज्ञान [(2004)

2 एस. सी. सी. 783], इस न्यायालय ने कहा कि मैक्सिम एक्टस क्यूरी नेमिनेम ग्रेवबिट की आवश्यकता है कि पक्ष को उसी स्थिति में रखा जाना चाहिए, लेकिन अदालत के आदेश के लिए जो अंततः पोषणीय नहीं पाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप एक पक्ष को लाभ हो रहा है जो अन्यथा अर्जित नहीं होता और दूसरे पक्ष ने अदालत के आदेशों के लिए पर्याप्त किया है। सफल पक्ष दूसरे पक्ष द्वारा अर्जित लाभ के वितरण की मांग कर सकता है, या जो उसने खो दिया है उसकी भरपाई कर सकता है। इस न्यायालय ने टिप्पणी की: (एस. सी. सी. पीपी. 790-91, पैरा 10-11)

"10. एक्टस क्यूरी नेमिनेम ग्रेवबिट के सिद्धांत और

यह अभिनिर्धारित किया गया कि इस सिद्धांत को केवल न्यायालय के ऐसे कृत्यों पर लागू करने में विश्वास नहीं किया गया था जो गलत थे; यह सिद्धांत ऐसे सभी कृत्यों पर लागू होता है जिन पर यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि यदि न्यायालय को तथ्यों और विधि के बारे में सही ढंग से अवगत कराया जाता तो वह इस तरह से कार्य नहीं करता। यह पुनर्स्थापन का सिद्धांत है कि

आकर्षित किया। जब पक्षकार के किसी कार्य के कारण, न्यायालय को एक आदेश पारित करने के लिए राजी करना, जिसे अंत में पोषणीय नहीं माना जाता है, जिसके परिणामस्वरूप एक पक्ष को लाभ होता है जो उसने अन्यथा अर्जित नहीं किया होता, या दूसरे पक्षकार ने एक ऐसी निर्धनता को पर्याप्त कर दिया है जो उसे पर्याप्त नहीं होती, लेकिन अदालत के आदेश और ऐसे पक्षकार के कार्य के लिए, तो सफल पक्षकार को राहत का हकदार माना जाता है, जिसका आकलन किया जा सकता है।

मुकदमे के अंत में धन के संदर्भ में, उसी तरह से मुआवजा पाने का हकदार है जिस तरह से पक्षकारों को दिया जाता यदि न्यायालय का अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जाता। सफल पार्टी मांग कर सकती है: (क) न्यायालय के अंतरिम आदेश के अंतर्गत विरोधी पक्ष द्वारा अर्जित लाभ का वितरण, या (ख) जो उसने खो दिया है उसकी प्रतिपूर्ति करना।

11. इस मामले के तथ्यों में, निर्णय के बावजूद [कर्नाटक]

दुर्लभ पृथ्वी बनाम खान और भूविज्ञान विभाग, डब्ल्यू. पी. सं. 4030-

4031 उच्च न्यायालय के 1997 के आदेश, दिनांक आई. डी. 1 (के. ए. आर.), यदि अपीलार्थी इस न्यायालय को अंतरिम आदेश पारित करने के लिए राजी नहीं करते, तो वे

खनन पट्टों को संचालित करने और निकाले गए खनिजों को बढ़ाने, हटाने और निपटाने के हकदार नहीं होते। लेकिन इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के लिए, अपीलकर्ताओं और किसी भी व्यक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, बिना किसी वैध प्राधिकरण के, किसी भी भूमि से कोई खनिज उगाना, जो धारा 21 की उप-धारा (5) की प्रयोज्यता को आकर्षित करता है। चूंकि अपीलार्थी न्यायालय से हार गए हैं, इसलिए उन्हें अंतरिम आदेशों के अंतर्गत उनके द्वारा अर्जित लाभ को बनाए रखने की अनुज्ञात नहीं दी जा सकती है।

न्यायालय। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों को उसी स्थिति में रखने के लिए उत्तरदायी ठहराया है जिसमें वे होते यदि यह न्यायालय अंतरिम आदेश जारी करके उनकी रक्षा नहीं करता।

राज्य सरकार अपीलार्थियों से केवल लघु खनिजों की कीमत की मांग कर रही है। राज्य सरकार द्वारा किराया, रॉयल्टी या कर पहले ही वसूल किया जा चुका है और इसलिए, उस शीर्ष के अंतर्गत कोई मांग नहीं है। अपीलार्थियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्यवाही, किसी भी आपराधिक कार्यवाही से बहुत कम, शुरू नहीं की गई है। यह तर्क देना बिल्कुल गलत है कि अपीलकर्ताओं को कोई जुर्माना देने के लिए कहा जा रहा है या किसी दंडात्मक कार्रवाई के अधीन किया जा रहा है। यह अपीलार्थियों का मामला नहीं है कि उन्हें निर्यात से प्राप्त मूल्य से अधिक मूल्य का भुगतान करने के लिए कहा जा रहा है या यह कि प्रतिवादी राज्य द्वारा निर्धारित मूल्य किसी भी तरह से मनमाना या अनुचित है। "

(मूल में जोर)

326. ए. आर. अंतुले [ए. आर. अंतुले बनाम आर. एस. नायक, (1988) 2 एस. सी. सी. 602:

1988 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 372], इस न्यायालय ने कहा कि यह एक स्थापित सिद्धांत है 1013

मुस्ताज़ यारूद दौला वक्फ बनाम एम/एस बादाम

बालकृष्ण होटल पी. वी. टी. लिमिटेड और ओ. आर. एस. [एम. एम. सुंदरेश, जे.] 1014

कि न्यायालय का कोई कार्य किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। यह सिद्धांत न्याय और सद्बुद्धि पर आधारित है और विधि के प्रशासन के लिए एक सुरक्षित और निश्चित मार्गदर्शन प्रदान करता है। किसी भी व्यक्ति को उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। भारत में, प्रक्रियात्मक झगड़ों के कारण देरी होती है।

ए. आर. अंतुले [ए. आर. अंतुले बनाम आर. एस. नायक, (1988) 2 एस. सी. सी. 602:1988

एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 372], इस न्यायालय ने कहा:(एस. सी. सी. पी. 687, पैरा 102) "102. यह शीर्ष न्यायालय होने के नाते, किसी भी वादी के पास अपने फैसलों पर प्रश्न उठाने के लिए किसी भी उच्च मंच से संपर्क करने का कोई अवसर नहीं है। प्रभु।

मॉन्ट्रियल स्ट्रीट रेलवे कंपनी में बकमास्टर बनाम नॉरमैंडिन [1917]

ए. सी. 170 (पी. सी.) ने कहा:

‘न्यायालय के सभी नियम और कुछ नहीं बल्कि न्याय के उचित प्रशासन को सुरक्षित करने के उद्देश्य से प्रावधान हैं। इसलिए, यह आवश्यक है कि उन्हें सेवा करने के लिए बनाया जाए और उस उद्देश्य के अधीन किया जाए।’

यह न्यायालय गुजरात राज्य बनाम रामप्रकाश पी. पुरी [(1969) 3 एस. सी. सी.

156 :1970 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 29] ने यह कहते हुए स्थिति को दोहराया:(एस. सी. सी. पी. 159, पैरा 5)

‘5.... प्रक्रिया को एक नौकरानी के रूप में वर्णित किया गया है न कि विधि की मालकिन के रूप में, जिसका उद्देश्य न्याय के कारण को कम करना और सुविधा प्रदान करना है न कि इसे नियंत्रित करना या बाधित करना है। प्रक्रिया के सभी नियमों की तरह, यह नियम एक ऐसे निर्माण की मांग करता है जो इस उद्देश्य को बढ़ावा दे।’

एक बार जब न्यायिक संतुष्टि हो जाती है कि निर्देश देने के लिए खुला नहीं था और इसे न्यायालय की गलती के रूप में स्वीकार किया जाता है, तो यह न केवल उचित है, बल्कि न्यायालय का कर्तव्य भी है कि वह अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करके गलती को सुधारें। न्यायिक राय इस दृष्टिकोण के पक्ष में बहुत अधिक झुकती है कि न्यायालय की गलती को बिना किसी बाधा के न्यायालय द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। यह सिद्धांत रूप में है, जैसा कि सिकंदर में बताया गया है।

रॉजर मामला [अलेक्जेंडर रॉजर बनाम कॉम्प्टायर डी 'एस्कॉम्प्टे डी पेरिस,

(1969-71) एलआर 3 पीसी 465:17 ई. आर. 120]। मेरा विचार है कि वर्तमान स्थिति में, अदालत की अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग गलती को सुधारने के लिए किया जा सकता है। महाजन, जे. में चार-न्यायाधीशों की पीठ के लिए बोल रहे हैं

केशरदेव चामरिया बनाम राधा किसेन चामरिया [(1952) 2 एस. सी. सी. 329:

1953 एससीआर 136:ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 23], एस. सी. आर. पी. 153 कहा गया:(ए. आई. आर. पी. 28, पैरा 21)

/

[2023] 15 एस सी आर।

‘21.... न्यायाधीश के पास डिक्री धारक द्वारा लिए गए आधारों या निर्णय-देनदारों द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर चर्चा किए बिना अपनी गलती को सुधारने का अधिकार क्षेत्र था।’ ”

×××××

328. रिलायंस को नीरज कुमार सैनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य पर रखा गया था। [(2017)

14 एससीसी 136:8 एस. सी. ई. सी. 454] वहाँ, इस न्यायालय ने कहा कि किसी को भी न्यायालय के कार्य के कारण किसी भी पूर्वाग्रह के लिए पर्याप्त नहीं होना चाहिए; कानूनी उक्ति शून्य में काम नहीं कर सकती है। इसे तथ्यों से पोषण प्राप्त करना होगा। जैसे ही अपीलकर्ताओं ने अपने भाग्य के लिए इस्तीफा दे दिया और घटनाओं पर नियंत्रण रखने के लिए यह भूलकर जाग गए कि विधि गैर-सतर्क व्यक्ति की सहायता नहीं करता है। कोई भी सुस्ती की विलासिता में लिप्त नहीं हो सकता है, संभवतः इस भावना को पोषित करना कि भूलना एक गुण है। यदि ऐसा आचरण है, तो मैक्सिम एक्टस क्यूरी नेमिनेम ग्रेवबिट के अंतर्गत शरण लेने की अनुमति नहीं है। उपरोक्त सिद्धांत के साथ कोई विवाद नहीं है। पार्टी को अधिकार के बारे में सतर्क रहना होगा, लेकिन अनुपात लागू नहीं किया जा सकता है। राय में, निर्णय में अनुपात को धारा 24 (2) की व्याख्या के उद्देश्य से लागू नहीं किया जा सकता है। ”

26. जब किसी कानून के अंतर्गत एक विशेष मंच उपलब्ध कराया जाता है, तो एक दीवानी न्यायालय को आम तौर पर एक विवाद पर विचार करना चाहिए जो अन्यथा उक्त मंच के समक्ष उत्तरदायी नहीं होगा। इसलिए, किसी अधिनियम से उत्पन्न होने वाले पक्षों के अधिकारों और देनदारियों पर उसके तहत प्रदान किए गए तंत्र के अनुरूप निर्णय लिया जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि अधिनियम के प्रावधानों को ऐसे मंचों के माध्यम से प्रभावी बनाया जाना चाहिए और इसलिए एक दीवानी न्यायालय को बाहर रखा जाना चाहिए जिसकी अधिकारिता का अन्यथा अनुमान लगाया जाना है। वॉल्वरहैम्टन में जे. विल्स

न्यू वाटरवर्क्स कं. बी. हॉक्सफोर्ड [1859] 6 सी. बी. (एनएस) 336,

“एक वह है जहाँ सामान्य विधि में एक दायित्व मौजूद था, और उस दायित्व को एक कानून द्वारा लागू किया जाता है जो सामान्य विधि में मौजूद उपचार से अलग उपचार का एक विशेष और विशिष्ट रूप देता है: वहाँ, जब तक कि कानून में ऐसे शब्द न हों जो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से सामान्य विधि उपचार को बाहर करते हैं, तब तक मुकदमा करने वाले पक्ष को उस या वैधानिक उपचार को आगे बढ़ाने के लिए चुना जाता है। मामलों का दूसरा वर्ग है, जहाँ कानून केवल मुकदमा करने का अधिकार देता है, लेकिन उपचार का कोई विशेष रूप प्रदान नहीं करता है: वहाँ, पार्टी केवल कार्रवाई द्वारा आगे बढ़ सकती है

सामान्य विधि में। लेकिन एक तीसरा वर्ग है, अर्थात्, जहाँ एक देयता जो सामान्य विधि में मौजूद नहीं है, एक कानून द्वारा बनाई गई है जो उसी समय इसे लागू करने के लिए एक विशेष और विशेष उपाय प्रदान करती है। उपाय 1015

मुम्ताज़ यारूद दौला वक्फ बनाम एम/एस बादाम

बालकृष्ण होटल पी. वी. टी. लिमिटेड और ओ. आर. एस. [एम. सुंदरेश, जे.] 1016 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 15 एस. सी. आर.

कानून द्वारा प्रदान किए गए प्रावधान का पालन किया जाना चाहिए और यह पक्ष के लिए द्वितीय श्रेणी के मामलों में लागू पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सक्षम नहीं है। "

(जोर दिया गया) 27। विधि के सिद्धांत के रूप में, दीवानी न्यायालय की शक्तियां, पूर्ण प्रकृति की होने के कारण, उस पक्ष पर निर्भर करती हैं जो तर्क देता है कि उसके पास अधिकार क्षेत्र का अभाव है। हालाँकि, यह अपने स्वयं के अधिकार क्षेत्र की जाँच करने के लिए दीवानी न्यायालय के कर्तव्य को नहीं छीनता है, विशेष रूप से तब जब एक विशेष मंच एक कानून के रूप में अस्तित्व में आया है। बेशक, कुछ अपवाद हो सकते हैं जब सामान्य विधि को नियंत्रित करने वाले मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया जाता है, जिसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत से संबंधित सिद्धांत भी शामिल हैं। उक्त मुद्दे से निपटने के लिए अधिनियम के पीछे के उद्देश्य को उसके तहत निहित प्रावधानों के साथ ध्यान में रखना होगा। धुलाभाई

आदि बनाम मध्य प्रदेश राज्य और दूसरा, **(1968) 3 एस. सी. आर. 662:ए. आई. आर. 1969 एस. सी. 78**

“32. इल्लूरी सुबैया की फर्म, 1964-1 SCR 752 = (AIR 1964 SC 322) या कमला मिल्स, 1966 1 SCR 64 = (AIR 1965 SC 1942) के दो मामलों में से किसी को भी पहले देखे गए मामलों की श्रृंखला के विपरीत नहीं कहा जा सकता है। इस न्यायालय में व्यक्त किए गए विविध विचारों की इस जांच का परिणाम इस प्रकार कहा जा सकता है:

(1) जहां कानून विशेष न्यायाधिकरणों के आदेशों को वैधता प्रदान करता है, वहां दीवानी अदालतों के अधिकार क्षेत्र को बाहर रखा जाना चाहिए यदि ऐसा करने के लिए पर्याप्त उपाय है जो दीवानी अदालतें आम तौर पर एक मुकदमे में करती हैं। हालाँकि, इस तरह के प्रावधान उन मामलों को बाहर नहीं करते हैं जहाँ विशेष अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है या वैधानिक न्यायाधिकरण ने न्यायिक प्रक्रिया के मौलिक सिद्धांतों के अनुरूप कार्य नहीं किया है। **(2)** जहां न्यायालय की अधिकारिता की एक स्पष्ट बाधा है, वहां प्रदान किए गए उपचारों की पर्याप्तता या पर्याप्तता को सुनिश्चित करने के लिए विशेष अधिनियम की योजना की जांच प्रासंगिक हो सकती है, लेकिन दीवानी न्यायालय की अधिकारिता को बनाए रखने के लिए निर्णायक नहीं है।

जहां कोई स्पष्ट बहिष्कार नहीं है, वहां उपचारों की जांच और इरादे को पूरा करने के लिए विशेष अधिनियम की योजना आवश्यक हो जाती है और जांच का परिणाम निकलता है।

निर्णायक हो सकता है। बाद के मामले में यह देखना आवश्यक है कि क्या कानून एक विशेष अधिकार या दायित्व पैदा करता है और अधिकार या दायित्व के निर्धारण के लिए प्रावधान करता है और आगे यह निर्धारित करता है कि उक्त अधिकार और दायित्व के बारे में सभी प्रश्न इस प्रकार गठित न्यायाधिकरणों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, और क्या सिविल अदालतों में कार्यों से जुड़े उपचार आमतौर पर उक्त कानून द्वारा निर्धारित किए जाते हैं या नहीं।

×××××

(7) दीवानी न्यायालय की अधिकारिता के बहिष्करण का आसानी से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है जब तक कि उपरोक्त शर्तें लागू नहीं होती हैं। "

(जोर दिया गया) इस न्यायालय की संविधान पीठ के उपरोक्त निर्णय का पालन एम. हरिहरसुधन सहित कई निर्णयों में भी किया जाता है।

बनाम आर. करमेगम, **(2019) 10 एससीसी 94**। निर्णय के आधार को हटाने का प्रभाव

28. निर्णय के आधार को हटाने के प्रभाव के प्रश्न पर, एक बार फिर, एक प्रक्रियात्मक और सारवान विधि के बीच के अंतर को ध्यान में रखा जाना चाहिए। एक न्यायिक मंच को एक प्रक्रियात्मक अधिकार का उत्पाद होने के नाते पूर्वव्यापी संचालन के अंतर्गत आना पड़ता है जब एक दोष को ठीक करने के लिए एक संशोधन पेश किया जाता है जिसने न्यायालय के निर्णय का मार्ग प्रशस्त किया।

अन्यथा धारण करने में। मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ और दूसरा, (2022) 12 एस. सी. सी. 455,

"50. इस देश में विधायी अधिनियम की अनुमति इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त के साथ-साथ अन्य निर्णयों में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार होनी चाहिए, जिन्हें नीचे दिया गया है:

50.1. न्यायालय के निर्णयों के प्रभाव को निर्णय के आधार को हटाकर विधायी अधिनियम द्वारा रद्द किया जा सकता है। ऐसी विधि भूतलक्षी हो सकती है। भूतलक्षी संशोधन उचित होना चाहिए और मनमाना नहीं होना चाहिए और संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। (लोहिया मशीन्स लिमिटेड

v. भारत संघ [लोहिया मशीन्स लिमिटेड v. भारत संघ, (1985) 2

एससीसी 197:1985 एस. सी. सी. (कर) 245)।

1017

मुम्ताज़ यारूद दौला वक्फ बनाम एम/एस बादाम

बालकृष्ण होटल पी. वी. टी. लिमिटेड और ओ. आर. एस. [एम. सुंदरेश, जे.] 1018 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 15 एस. सी. आर.

50.2.ख) एक मान्यकारी विधान की वैधता निर्धारित करने के लिए परीक्षण यह है कि दोष को इंगित करने वाला निर्णय पारित नहीं किया गया होता, यदि न्यायालय के समक्ष अपना निर्णय देने के समय मान्यकारी विधि द्वारा लाई जाने वाली परिवर्तित स्थिति विद्यमान होती। दूसरे शब्दों में, बताए गए दोष को इस तरह से ठीक किया जाना चाहिए था कि दोष को इंगित करने वाले निर्णय के आधार को हटा दिया जाए।

50.3. एक अधिनियम द्वारा अनिवार्यता को समाप्त करना अस्वीकार्य विधायी अभ्यास होगा (देखें एस. आर. भागवत बनाम मैसूर राज्य [(1995) 6 एस. सी. सी. 16:1995 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 1334])। यहां तक कि अंतरिम निर्देशों को भी विधायी वीटो द्वारा उलट नहीं किया जा सकता है (कावेरी जल विवाद देखें)।

न्यायाधिकरण [कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण, पुनः 1993 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 96 (2)] और भारतीय चिकित्सा परिषद बनाम केरल राज्य [(2019) 13

एस. सी. सी. 185]

50.4. संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन और विधायिका द्वारा न्यायिक शक्ति पर वार शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत, विधि के शासन और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। "

(जोर दिया गया)

राशिद वाली बेग (एसयूपीआरए)

29. इस न्यायालय ने रमेश गोबिंदराम (सुप्रा) में दिए गए पहले के निर्णय पर ध्यान दिया है और कहा है कि 2013 के अधिनियम 27 द्वारा किए गए संशोधन के बाद उक्त निर्णय के आधार को सही ढंग से हटा दिया गया है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि वक्फ संपत्ति पर बेदखली के लिए मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं। राशिद वाली बेग (सुप्रा) में लिए गए निर्णय, जिसमें वास्तव में रमेश गोबिंदराम (सुप्रा) के बाद के निर्णयों को ध्यान में रखा गया था, हम निम्नलिखित अनुच्छेदों को उद्धृत करने के अलावा अधिक विस्तार से नहीं बताना चाहते हैं।

"45. दिलचस्प बात यह है कि रमेश गोबिंदराम [रमेश गोबिंदराम बनाम सुग्रा हुमायूं मिर्जा वक्फ, (2010) 8 एस. सी. सी. 726 में निर्णय का आधार: (2010) 3 एस. सी. सी. (सी. वी.) 553] को 2013 के अधिनियम 27 के अंतर्गत एक संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया था। जैसा कि हमने कहीं और कहा है, रमेश गोबिंदराम (सुप्रा) ने इस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश की कि क्या

वक्फ ट्रिब्यूनल वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने वाले व्यक्तियों को बेदखल करने से संबंधित विवादों पर विचार करने और निर्णय लेने में सक्षम था। चूंकि इस न्यायालय ने प्रश्न का

उत्तर नकारात्मक में दिया था, इसलिए **2013** के अधिनियम **27** द्वारा धारा **83 (1)** में संशोधन किया गया था -

"किरायेदार की बेदखली या ऐसी संपत्ति के पट्टेदार और पट्टेदार के अधिकारों और दायित्वों का निर्धारण" शब्द शामिल हैं।

×××××

47. उपरोक्त चर्चा का परिणाम यह है कि रमेश का आधार

गोबिंदराम [रमेश गोबिंदराम बनाम सुग्रा हुमायूं मिर्जा वक्फ,

(2010) 8 एससीसी 726:(2010) 3 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 553] अब **2013** के संशोधन अधिनियम **27** के माध्यम से हटा दिया गया है। वास्तव में, जब रमेश

गोबिंदराम [रमेश गोबिंदराम बनाम सुग्रा हुमायूं मिर्जा वक्फ,

(2010) 8 एससीसी 726:(2010) 3 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 553] का निर्णय लिया गया, धारा 6 (1) और 7 (1) ने केवल तीन श्रेणियों के व्यक्तियों को राहत के लिए वक्फ न्यायाधिकरण से संपर्क करने में सक्षम बनाया। वे हैं, (i) बोर्ड; (ii) वक्फ का मुतवल्ली; या (iii) उसमें रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति। हालांकि, धारा 6 (1) के अंतर्गत स्पष्टीकरण में स्पष्ट किया गया है कि "इसमें रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति" अभिव्यक्ति में प्रत्येक व्यक्ति शामिल होगा, जो वक्फ में रुचि नहीं रखता है, लेकिन संपत्ति में रुचि रखता है। लेकिन 2013 के अधिनियम 27 द्वारा "कोई भी इच्छुक व्यक्ति" शब्दों को "कोई भी व्यथित व्यक्ति" शब्दों से प्रतिस्थापित किया गया था, जिसका अर्थ है कि एक गैर-मुसलमान भी न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को लागू करने का हकदार है। "कोई भी व्यथित व्यक्ति" शब्दों के प्रतिस्थापन के कारण, 2013 के अधिनियम 27 ने 6 (1) के अंतर्गत स्पष्टीकरण को हटा दिया है। इस संशोधन ने भी संबोधित किया है

रमेश गोबिंदराम बनाम रमेश गोबिंदराम में व्यक्त की गई चिंता

सुग्रा हुमायूं मिर्जा वक्फ (2010) 8 एस. सी. सी. 726:(2010) 3 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 553] (एस. सी. सी. रिपोर्ट के पैरा 21 में) क्या किसी गैर-मुसलमान को अधिकारिता बार द्वारा खतरे में डाला जा सकता है, केवल इसलिए कि संपत्ति वक्फ की सूची में शामिल है। हमें इस स्तर पर यह इंगित करना चाहिए कि धारा 6 की उप-धारा (1) के अंतर्गत स्पष्टीकरण, जैसा कि उस समय था।

जब रमेश गोबिंदराम [रमेश गोबिंदराम बनाम सुग्रा हुमायूं]

मिर्जा वक्फ (2010) 8 एस. सी. सी. 726:(2010) 3 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 553] का निर्णय लिया गया था, पहले से ही इस आकस्मिकता का ध्यान रखा गया था, लेकिन इस न्यायालय के ध्यान में लाए जाने के लिए छोड़ दिया गया था।

मुस्ताज़ यारूद दौला वक्फ बनाम एम/एस बादाम

बालकृष्ण होटल पी. वी. टी. लिमिटेड और ओ. आर. एस. [एम. सुंदरेश, जे.] 1020 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 15 एस. सी. आर.

64. हम पहले ही देख चुके हैं कि ऐसा नहीं है कि वक्फ अधिनियम में वक्फ संपत्ति के संबंध में न्यायाधिकरण को अधिकार क्षेत्र प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं था। हम धारा **83** के पहले भाग को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, पहला वक्फ से संबंधित किसी भी विवाद, प्रश्न या अन्य मामले के निर्धारण से संबंधित और दूसरा, वक्फ संपत्ति से संबंधित किसी भी विवाद, प्रश्न या अन्य मामले के निर्धारण से संबंधित। **2013** के संशोधन अधिनियम **27** के बाद, यहां तक कि किसी किरायेदार की बेदखली या ऐसी संपत्ति के पट्टेदार और पट्टेदार के अधिकारों और दायित्वों का निर्धारण भी न्यायाधिकरण के दायरे में आता है। यद्यपि जिन कार्यवाहियों में से वर्तमान अपील उत्पन्न होती है, वे संशोधन अधिनियम से पहले शुरू की गई थीं,

शब्द "वक्फ से संबंधित कोई विवाद, प्रश्न या अन्य मामला

या वक्फ संपत्ति "वक्फ संपत्ति से संबंधित किसी भी विवाद, प्रश्न या अन्य मामले को कवर करने के लिए पर्याप्त हैं। यही कारण है कि रमेश

गोबिंदराम [रमेश गोबिंदराम बनाम सुग्रा हुमायूं मिर्जा वक्फ,

(2010) 8 एससीसी 726:(2010) 3 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 553] को अनीस फातमा बेगम [डब्ल्यू. बी. वक्फ बोर्ड बनाम अनीस फातमा बेगम, **(2010) 14 एस. सी. सी. 588** दोनों में प्रतिष्ठित करने की मांग की गई थी: **(2012) 1 एससीसी (सी. आई. वी.)**

773] और प्रितपाल सिंह [पंजाब वक्फ बोर्ड बनाम प्रितपाल सिंह, **2013**

एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. **1345]** और इस तरह के अंतर पर ध्यान दिया गया था

अक्कोड जुमायत पल्ली परिपालन समिति [अक्कोड जुमायत पल्ली परिपालन समिति बनाम पी. वी. इब्राहिम हाजी, **(2014) 16 एस. सी. सी.**

65 :(2015) 3 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 446] इसके अतिरिक्त, किरण में यह न्यायालय

देवी [किरण देवी बनाम बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, **(2021) 15**

एससीसी **15:2021** एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. **280**], ने अनुपात लागू करने से इनकार कर दिया।

रमेश गोबिंदराम बनाम सुग्रा हुमायूँ

मिर्जा वक्फ **(2010) 8** एस. सी. सी. **726:(2010) 3** एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) **553**], इस आधार पर कि मुकदमा मूल रूप से दीवानी न्यायालय के समक्ष स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में वक्फ न्यायाधिकरण को स्थानांतरित कर दिया गया था और स्थानांतरण के आदेश को वास्तविकता प्राप्त करने की अनुमति देने के बाद, रमेश गोबिंदराम के माध्यम से इस मुद्दे को फिर से उठाने के लिए उनके लिए खुला नहीं था।

[रमेश गोबिंदराम बनाम सुग्रा हुमायूँ मिर्जा वक्फ, **(2010) 8**

एससीसी **726:(2010) 3** एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) **553**]

65. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि न्यायालय क़ानून की स्पष्ट भाषा के साथ हिंसा नहीं कर सकती है। धारा **83 (1)** भले ही वह बनी हुई हो।

(i) वक्फ से संबंधित; और **(ii)** वक्फ संपत्ति से संबंधित किसी विवाद, प्रश्न या अन्य मामले के बारे में न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारण के लिए प्रावधान किए गए संशोधन से पहले। इसलिए यह कहना कि न्यायाधिकरण का अधिकार क्षेत्र केवल तभी होगा जब विषय संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में विवादित किया जाता है और यदि इसे वक्फ संपत्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है, तो यह धारा **83 (1)** के अनुसार अपचनीय है। "

(जोर दिया गया) 30। उक्त निर्णय के उचित विश्लेषण पर, हमें यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि वक्फ न्यायाधिकरण को वक्फ या वक्फ संपत्ति से संबंधित प्रत्येक मुकदमे की सुनवाई करने के लिए पर्याप्त अधिकार क्षेत्र प्राप्त है, संबंधित राहत की प्रकृति के बावजूद, क़ानून के अंतर्गत अनिवार्य के अलावा।

31. हम संस्था और निर्णय के बीच अंतर करके एक और मुद्दे पर विचार करना चाहेंगे। जहां तक अधिकारों और देनदारियों का संबंध है, किसी ऐसे मंच के समक्ष मुकदमा दायर करना, जहां निर्णय प्रक्रिया दूसरे के समान है, तब इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है जब बाद में किसी अन्य मंच को अधिकार क्षेत्र प्रदान करने वाला कोई अधिनियम या संशोधन सामने लाया गया हो। दूसरे शब्दों में, विचार के लिए मुद्दा निर्णय लेने का मंच है। यह सिद्धांत सवार के अधीन है कि इसका कोई आवेदन नहीं हो सकता है जब पहले से ही एक डिक्री है जहां किसी पक्ष ने पहले किसी भी समय अधिकार क्षेत्र का मुद्दा नहीं उठाया है।

तथ्यों पर

32. उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय, दुर्भाग्य से राशिद वली बेग (सुप्रा) में दिए गए निर्णय का लाभ नहीं उठाया। अन्यथा भी, 2013 के अधिनियम 27 के

संशोधन के अनुसार, अब अधिकार क्षेत्र वक्फ न्यायाधिकरण के पास है। प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 ने लगातार न्याय के पहियों पर प्रवक्ता रखे हैं क्योंकि वर्ष 1999 में पट्टे की समाप्ति के बावजूद, लंबी कार्यवाही ने उन्हें दो दशकों से अधिक समय तक कब्जे में रहने में मदद की है। हम उत्तरदाताओं के आचरण पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं। 1 और 2 जैसा कि वर्णित तथ्य खुद के लिए बोलते हैं। 2013 का अधिनियम 27 निश्चित रूप से एक प्रक्रियात्मक संशोधन है और इसलिए, मंच और अधिकार क्षेत्र के प्रावधानों के परिवर्तन के संदर्भ में पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाना चाहिए। जैसा कि कहा गया है, हम राशिद वली बेग (सुप्रा) में दिए गए निर्णय के साथ सम्मानजनक सहमति में हैं। 1021 को पार करने के लिए संशोधन लाया गया है।

मुस्ताज़ यारूद दौला वक्फ बनाम एम/एस बादाम

बालकृष्ण होटल पी. वी. टी. लिमिटेड और ओ. आर. एस. [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

रमेश गोबिंदराम (सुप्रा) में दी गई व्याख्या। इसलिए हमारे पास

उच्च न्यायालय द्वारा 2021 की सी. आर. पी. संख्या 1264 दिनांक 23.11.2021 में पारित आक्षेपित आदेश को अपास्त करते हुए कोई संकोच नहीं है, जिसे निष्पादन न्यायालय, यानी तृतीय-अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश की अदालत, हैदराबाद में सिटी सिविल कोर्ट द्वारा 2014 की ई. पी. संख्या 29 दिनांक 10.08.2021 में पारित किया गया था। अपील की अनुज्ञात है। व्यय सम्बन्धी कोई आदेश नहीं।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

अपील अनुज्ञात ।

दिव्या पांडे